मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2021-2022

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

शहर भोपाल
CITY BHOPAL

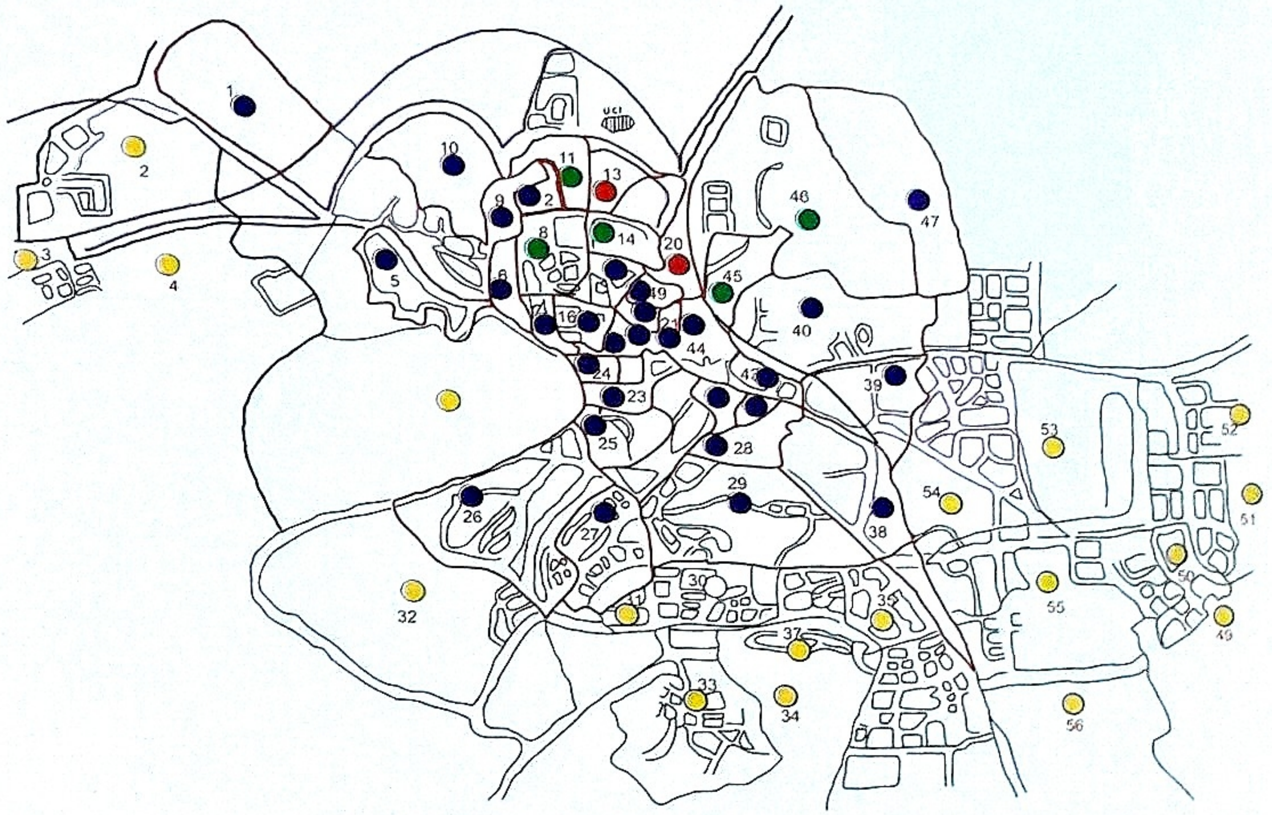

SEVERELY AFFECTED-2	गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र-2
MODERATELY AFFECTED-5	सामान्य रूप से प्रभावित क्षेत्र-5
MILDLY AFFECTED-29	अल्प प्रभावित क्षेत्र-29
UNEXPOSED AREA-20	अप्रभावित क्षेत्र-20

मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

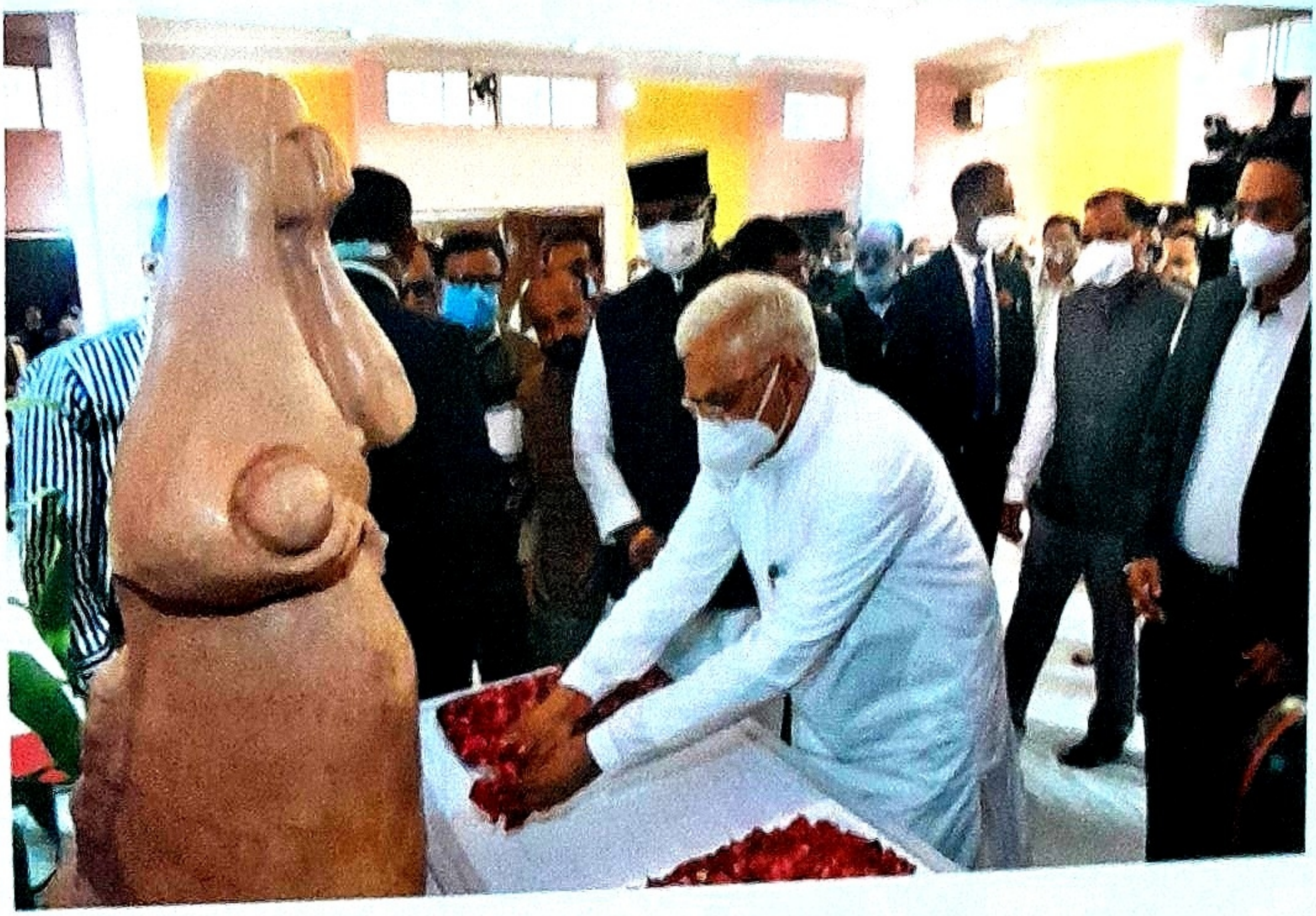

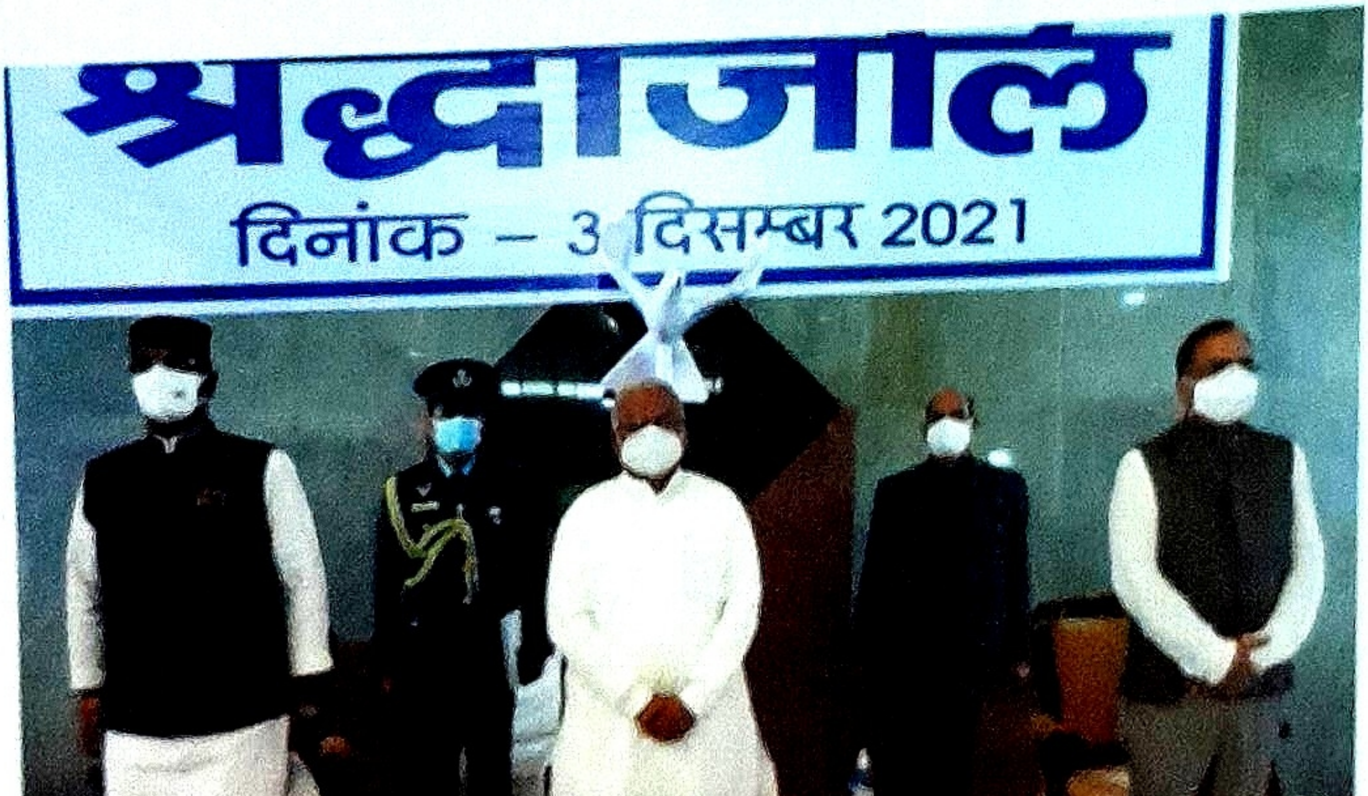
श्रद्धांजलि
दिनांक - 3 दिसम्बर 2021

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास की विभागीय संरचना

मंत्रालय

कैबिनेट मंत्री	–	श्री विश्वास कैलाश सारंग
अपर मुख्य सचिव	–	श्री मोहम्मद सुलेमान
पदेन उप सचिव	–	श्री कृष्णकांत दुबे
अवर सचिव	–	श्रीमती सीमा डेहरिया

संचालनालय

संचालक	–	श्री बसंत कुर्रे
संयुक्त संचालक (वित्त)	–	श्री रमेश चन्देवाल
सहायक संचालक	–	डॉ. पी.के. श्रीवास्तव

अधीनस्थ इकाई

चिकित्सा

संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय	–	डॉ. संजय जैन
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–	डॉ. रवि शंकर वर्मा
अधीक्षक, कमला नेहरू चिकित्सालय	–	डॉ. एम.एल. बंजारे
अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय	–	डॉ. अनिल जैन
अधीक्षक, इन्दिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय	–	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता
अधीक्षक, आर.ए.एस. पल्मोनरी मेडिसिन सेन्टर	–	डॉ. सुधीर चौरसिया
प्रभारी, खान शाकिर अली खान चिकित्सालय	–	डॉ. एस.एस. राजपूत
प्रभारी, मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय	–	डॉ. शरणजीत कौर

कलेक्टर, गैस राहत

कलेक्टर गैस राहत	–	श्री राजेश गुप्ता (संयुक्त कलेक्टर)

राजधानी परियोजना प्रशासन

कार्यपालन यंत्री	–	श्री रवि मित्तल

लोक निर्माण विभाग

कार्यपालन यंत्री	–	श्री प्रवीण शर्मा

विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	**भाग – एक** **पृष्ठभूमि, विभाग के दायित्व, सामान्य प्रशासकीय कार्य, समितियाँ**	1 से 2
2.	**भाग – दो** **अधीनस्थ कार्यालय**	3 से 4
3.	**भाग – तीन** **विभागीय गतिविधियाँ**	5 से 33
	1. आर्थिक पुनर्वास	10
	2. चिकित्सा पुनर्वास	11 से 14
	कमला नेहरू चिकित्सालय	15 से 17
	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय	18 से 19
	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय	19–20
	रसूल अहमद सिद्दीकी, पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर	20–21
	खान शाकिर अली खान चिकित्सालय	21
	मास्टरलाल सिंह चिकित्सालय	22
	डे–केयर सेंटर	23
	3. सामाजिक पुनर्वास	24 से 29
	I. पेयजल	24
	II. गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन	24 से 25
	III. आवास एवं अन्य सुविधाऐं	25
	1. आवास आवंटन	25
	2. स्फूर्ति योजना–व्यायाम शाला निर्माण	26
	3. गैस प्रभावित 16 क्षेत्रों में विद्यालयों का उन्नयन	26–27
	4. सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण एवं मार्डन डस्टबिन प्रदाय	27
	5. राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा चिकित्सालय उन्नयन कार्य	27 से 29
	4. पर्यावरणीय पुनर्वास	30
	भोपाल गैस त्रासदी स्मारक निर्माण	31 से 33
5.	**भाग – चार** **महत्वपूर्ण सांख्यिकी**	34 से 37
	I. भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत पश्चात् राज्य शासन द्वारा गैस पीड़ितों को प्रदत्त तात्कालिक राहत	34
	II. भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत पश्चात् राज्य शासन द्वारा गैस पीड़ितों को प्रदत्त अंतरिम राहत	34–35
	III. दावा आवेदन वर्ष 1985 से वर्ष 1989 तक तथा वर्ष 1996–97 में दो फेज में आमंत्रित किये गये। प्रथम फेज (1985–89) में 6,18,659 मामले पंजीकृत किये गये। द्वितीय फेज (1996–97) में 4,10,859 दावा आवेदन प्राप्त हुए।	35–36
	IV. मुआवजा संबंधी निर्णय	36 से 37

6.	भाग – पांच	38 से 44
	बजट विहंगावलोकन	38
	बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय	38
	सारणी – 1 वर्ष–2021–22 का बजट अनुमान (दिसम्बर 2021 तक के व्यय की जानकारी)	39
	सारणी – 2 वर्ष–2021–22 का बजट अनुमान (दिसम्बर 2021 तक के व्यय की जानकारी)	40
	सारणी – 3 वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक के बजट एवं व्यय की जानकारी	41 से 43

7.	परिशिष्ट	
	परिशिष्ट–1 विभिन्न प्रकार के पुनर्वास जैसे कि चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत राशि का विवरण	44–45
	परिशिष्ट–2 कार्य योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत राशि एवं उसके विरूद्ध 31 दिसम्बर 2021 तक हुए व्यय का विवरण	46
	परिशिष्ट–3 नवीन कार्य योजना के विरुद्ध द्वितीय कार्ययोजना में वर्ष–2010–11 में प्राप्त राशि का विवरण	47
	परिशिष्ट–4 दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक अधिमान्य संस्थाओं द्वारा गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों की रेडियोडायग्नोस्टिक जांचे की संस्थावार जानकारी	48
	परिशिष्ट–5 गैस राहत चिकित्सा संस्थाओं के बाह्य एवं आंतरिक रोगी विभाग के आंकड़े (वर्ष 1985 से दिसम्बर 2021 तक की स्थिति)	49
	परिशिष्ट–6 गैस राहत विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में उपचार प्राप्त रोगियों की संख्या (माह जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक)	50
	परिशिष्ट–7 गैस राहत विभाग के अधीन अस्पतालों में किये गये चिकित्सीय परीक्षणों की जानकारी	51
	परिशिष्ट–8 पैथोलॉजी परीक्षण का विवरण	52
	परिशिष्ट –9 न्यायालयीन प्रकरण	53
	परिशिष्ट – 10 गैस राहत विभाग की चिकित्सा इकाईयों एवं कार्यालय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी	54 से 59
	प्रथम श्रेणी	54 से 55
	द्वितीय श्रेणी	55
	तृतीय श्रेणी	56 से 57
	चतुर्थ श्रेणी	58
	परिशिष्ट–11 नियुक्तियाँ 01.01.2021 से 31.12.2021 के मध्य की गई नियुक्तियों की जानकारी	59

भाग – एक

पृष्ठभूमि

2–3 दिसंबर, 1984 की सर्द रात में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित कीटनाशक दवाएं बनाने वाली बहुराष्ट्रीय अमरीकी कंपनी, यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड की फैक्ट्री के एक टैंक नम्बर 610 से मिथाइल आइसोसाइनेट (मिक) एवं सात मिश्रित अन्य जहरीली गैसों के रिसन ने विश्व की भीषणतम रसायनिक दुर्घटना के रूप में झीलों और तालाबों के खुशनुमा प्राकृतिक माहौल वाले भोपाल शहर में विनाशलीला से लगभग 6 लाख भोपाल वासियों को भयानक रूप से प्रभावित किया तथा 3000 से अधिक निर्दोष जिंदगियों को हमेशा के लिये मौत की नींद में सुला दिया।

गैस के प्रभाव से लोग शारीरिक एवं मानसिक तौर पर अपाहिज हो गये और वे मेहनत से रोजी रोटी कमाने की हालत में नहीं रहे। मिक गैस की यह विनाशलीला इतनी भीषणतम थी कि भोपाल शहर का वायुमंडल ही न सिर्फ इससे प्रदूषित हुआ बल्कि वनस्पति जगत, जलीय और समस्त पर्यावरण ही जहरीली गैस के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गये। त्रासदी की विभीषिका इतनी भयावह थी कि उस वक्त मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सुविधाएं गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल के लिहाज से अपर्याप्त महसूस हुई।

इस भयावह स्थिति में यह किसी को नहीं मालूम था कि कौंन सी गैस है, इसका शरीर पर क्या–क्या प्रभाव हो सकता है, इस जहर का एन्टीडोट क्या है, एवं कैसे किस प्रक्रिया से चिकित्सा प्रदान की जावेगी। भोपाल के शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सक एवं अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, सरकारी गैर सरकारी संगठन सब एकसाथ होकर एक अभूतपूर्व एवं अप्रत्याशित त्रासदी का एकजुट होकर सामना किया एवं अनेकों मृतप्रायः व्यक्तियों को समुचित चिकित्सा एवं देखभाल कर उनके जीवन बचाने में सफल रहे। चिकित्सक रात–दिन सभी काम छोड़कर अस्पतालों में लगातार मरीजों की सेवा में जुटे रहे।

ऐसी स्थिति में जब इस गैस के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी पीड़ितों को चिकित्सा प्रदान करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था, तब भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) नई दिल्ली की सहायता से स्थानीय गांधी मेडिकल कॉलेज में अनेकों चिकित्सा अनुसंधान की परियोजनाऐं प्रारम्भ की गई। अनुसंधान के माध्यम से कई तथ्य सामने आये जिससे गैस पीड़ितों को चिकित्सा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

आज राज्य शासन के प्रयासों जिनमें कि केन्द्र शासन तथा विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संगठनों द्वारा दिया गया सहयोग भी शामिल है, की वजह से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं एवं जिसके फलस्वरूप गैस पीड़ित 'भोपाल गैस त्रासदी' जैसी विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना के दुष्प्रभावों से उबर पाने में सक्षम हो सके हैं।

राज्य शासन द्वारा दुर्घटना के तुरंत बाद प्रारम्भिक स्तर पर सभी प्रकार की सहायता प्रदान की गई तथा गैस पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के लिये अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं प्रारम्भ की गईं। राज्य शासन ने गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास के प्रति अत्यंत गंभीरता से विचार किया तथा इसे मूर्तरूप देने के लिए भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का गठन 29 अगस्त, 1985 को किया गया। दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 से शासन द्वारा संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास का पुर्नगठन किया गया। संचालनालय के संचालक को विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए विभागाध्यक्ष की समस्त शक्तियां प्रदान की गईं।

विभाग के दायित्व – गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग का मुख्य उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी राहत एवं पुनर्वास योजनाएं बनाकर उन्हें

कार्यान्वित कराना एवं उनका समय–समय पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना है। इसके साथ–साथ गैस पीड़ितों से संबंधित विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संगठनों से समन्वय स्थापित कर गैस पीड़ितों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना भी विभाग का दायित्व है।

सामान्य प्रशासकीय कार्य – भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एक अस्थाई विभाग है। इसका कार्यक्षेत्र केवल भोपाल नगर निगम के 36 वार्डों तक सीमित है।

विभाग के अंतर्गत 6 चिकित्सालय, 9 डे–केयर सेन्टर कार्यरत हैं जिनमें गैस पीड़ितों की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की जाती है।

भवनों के संधारण हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का एक संभाग कार्यरत है। उक्त सभी कार्यालयों में पद पूर्णतः अस्थाई हैं जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनशक्ति नियोजन, लोक निर्माण विभाग तथा संचालनालय, कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं। प्रतिनियुक्ति के अभाव में संविदा से भरे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद सीधी भर्ती (म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से) एवं अनुकम्पा नियुक्ति से भी भरे जाते है।

समितियाँ – भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित पुनर्वास गतिविधियों के सतत् अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु केन्द्र शासन एवं राज्य शासन स्तर पर विभिन्न समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों का उद्‌देश्य न सिर्फ प्रचलित गतिविधियों का अनुश्रवण करना है बल्कि भविष्य में विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली पुनर्वास गतिविधियों के लिये विभाग को परामर्श देना भी है।

1. राज्य सलाहकार समिति – माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

2. मॉनीटरिंग कमेटी – माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मानीटरिंग कमेटी द्वारा गैस राहत की चिकित्सा इकाईयों का निरीक्षण समय–समय पर किया जा रहा है तथा अस्पतालों में सेवा संबंधित कमियों को चिन्हित कर, उस संबंध में सुधार हेतु शासन को नियमित रूप से अनुशंसा की जा रही है। कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 5–4/2004/47,दिनांक 07 जनवरी, 2014 द्वारा मॉनीटरिंग कमेटी का पुर्नगठन किया गया है।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :–

1.	श्री व्ही.के. अग्रवाल, सेवानिवृत्त, न्यायाधीश	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. निर्भय श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संचालक, चिकित्सा शिक्षा	–	सदस्य
3.	डॉ. भानू प्रकाश दुबे, सेवानिवृत्त, अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय	–	सदस्य
4.	श्री पूर्णेन्दु शुक्ला, पत्रकार	–	सदस्य
5.	डॉ. पंकज शुक्ला संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं	–	सदस्य सचिव

अध्यक्ष, मॉनीटरिंग कमेटी का कार्यालय संचालनालय, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के भवन में स्थित है एवं पूर्ण रूप से क्रियाशील है।

3. भोपाल गैस पीड़ित एवं पुनर्वास, रोगी कल्याण समिति – गैस राहत विभाग के अधीन सभी चिकित्सालयों (कुल 06) एव डिस्पेंसरीज (कुल–09) के लिये संयुक्त रूप से भोपाल गैस पीड़ित एवं पुनर्वास रोगी कल्याण समिति, गैस राहत दिनांक 15.09.2005 से क्रियाशील होने के पश्चात् गैस पीड़ित एवं गैर गैस पीड़ित रोगियों के स्वास्थ्य में गुणवत्ता लाने के लिये निरन्तर प्रयासरत है।

भाग – दो

अधीनस्थ कार्यालय

विभाग के अंतर्गत उच्च स्तर पर निम्नलिखित कार्यालय संचालित हैं:

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास

संचालनालय, क्लेम्स, भोपाल गैस रिसन त्रासदी की स्थापना 7 मई, 1985 को की गई। संचालनालय को त्रासदी के संदर्भ में यह कार्य सौंपा गया था कि भोपाल गैस रिसन के कारण प्रभावित दावेदारों के दावे प्राप्त करना, उन्हें संकलित करना एवं उन्हें योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षित रखना। दावेदारों का चिकित्सीय अभिलेखीकरण, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन का कार्य भी संचालनालय को सौंपा गया था, जिसके तहत चिकित्सीय अभिलेखीकरण एवं मूल्यांकन का कार्य किया गया था। गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से दिनांक 17 अक्टूबर 1995 को संचालनालय गैस क्लेम्स को पुनर्गठित करते हुए संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास नामांकित किया गया एवं निम्न इकाईयों के कार्यों में समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु संचालनालय को अधिकृत किया गया :-

- कलेक्ट्रेट, गैस राहत, भोपाल
- संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल
- कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, गैस राहत संभाग, भोपाल

कलेक्ट्रेट, गैस राहत, भोपाल

गैस दुर्घटना में मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों को निःशुल्क आवास आवंटन, गैस दुर्घटना से अनाथ हुए बच्चों का भरण-पोषण, यूनियन कार्बाइड परिसर का रख-रखाव एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से गैस पीड़ितों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण कलेक्टर, गैस राहत द्वारा किया जा रहा है। गैस दुर्घटना से जिनके पति मृत हुए हैं उनकी विधवा पेंशन वितरण का कार्य इसके अतिरिक्त कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा समय-समय पर मांगे गए अभिलेखों को प्रस्तुत करने का कार्य भी इस कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल

गैस राहत विभाग के अधीनस्थ संचालित समस्त चिकित्सा संस्थाऐं संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास के प्रशासकीय नियत्रंण में है। वर्तमान में संचालक के अधीन एक अधीक्षक एवं दो सहायक अधीक्षक कमला नेहरू चिकित्सालय में कार्यरत है। विभाग के अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत संचालित समस्त चिकित्सा इकाईयों के नियंत्रण का दायित्व भी संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल का है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत के अधीनस्थ निम्न चिकित्सालय एवं चिकित्सा इकाईयां संचालित की जा रहीं हैं। 1. खान शाकिर अली खान चिकित्सालय 2. मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय 3. रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी मेडिसिन सेन्टर इसके साथ –साथ 9 डे–केयर सेन्टर भी अपनी दैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को गैस पीड़ित से संबंधित अभिलेख कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल द्वारा भुगतान किये गये मुआवजा की सत्यापित प्रति तथा कैंसर बीमारी की जॉच रिपोर्ट एवं अन्य निर्धारित अभिलेख के साथ उक्त कैंसर पीड़ित मरीज के आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल के कार्यालय में प्राप्त किये जाते हैं। प्रशासकीय विभाग के कैंसर पॉलिसी के अनुरूप अनुशंसा की जाकर संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। स्वीकृति उपरान्त इन मरीजों को जवाहरलाल नेहरू कैंसर चिकित्सालय, ईदगाह हिल्स भोपाल, चिरायू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, भैसाखेडी बैरागढ भोपाल एवं नवोदय कैंसर चिकित्सालय एवं रिसर्च सेन्टर एम.पी. नगर भोपाल में रेफर करने का दायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल को सौंपा गया है।

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, गैस राहत संभाग, भोपाल

गैस राहत विभाग के अधीनस्थ विभिन्न भवनों (कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल को छोड़कर) में नवीन निर्माण कार्य एवं संधारण कार्य इस कार्यालय द्वारा संपादित किए जाते हैं । इस कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न गैस राहत चिकित्सालय एवं चिकित्सा इकाईयों के भवन, दावा अदालतों के भवन, अशासकीय संस्थाओं को आवंटित वर्कशेड के भवन एवं अन्य विभागीय आवासीय भवनों आदि का संधारण किया जाता है।

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (कमला नेहरू चिकित्सालय)

कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल में नवीन निर्माण कार्य एवं संधारण कार्य इस कार्यालय द्वारा संपादित किए जाते हैं। शासन स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कमला नेहरू चिकित्सालय भवन का अधिपत्य दिनांक 29.11.2021 को लोक निर्माण विभाग के अधीन सौंप दिया गया है।

भाग – तीन

विभागीय गतिविधियाँ

1. गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए रुपये 258.00 करोड़ की एक कार्ययोजना वर्ष 1990–95 के लिए स्वीकृत की गई थी। बाद में कार्ययोजना की अवधि में जुलाई, 1999 तक वृद्धि की गई। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी, जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान रुपये 193.50 करोड़ (75%) शामिल है। शेष रुपये 64.50 करोड़ (25%) राज्य सरकार का अंशदान गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए रुपये 258.00 करोड़ की एक कार्ययोजना वर्ष 1990–95 के लिए है। भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1999 के पश्चात् कार्ययोजना की अवधि समाप्त होने के बाद वित्तीय सहायता का कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया, जिससे गैस पीड़ितों के पुनर्वास योजनाओं पर दिसम्बर, 2021 तक राशि रुपये 1345.76 करोड़ का व्यय किया गया है।

2. भारत सरकार द्वारा गठित "ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स" की बैठक 18–21 जून, 2010 को आयोजित की गई थी जिसमें की गई अनुशंसाओं के तारतम्य में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों को निरंतर चलाने हेतु मुख्य बजट के साथ ही अनुपूरक अनुमानों में केंद्र शासन से प्राप्त राशि रु. 272.75 करोड़ में (केंद्र से 75% तथा राज्य शासन से 25% अंशदान) प्रावधान किया गया है। (विवरण–परिशिष्ट – 1, 2 एवं 3)

3. विभाग द्वारा चिकित्सालयों के विभिन्न उपकरणों हेतु राशि रु. 13.78 करोड़ क्रय आदेश जारी किया गया के विरुद्ध राशि रु. 13.78 करोड़ के उपकरण स्थापित किए जाकर मरीजों को जाँच एवं उपचार में लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों में आवश्यक निर्माण तथा रेनोवेशन के कार्य राशि रु. 1.80 करोड़ के पूर्ण किए गए हैं। चिकित्सालयों को सुसज्जित किए जाने हेतु राशि रु. 0.74 करोड़ के चिकित्सालयीन फर्नीचर के क्रय किए गए हैं। इस प्रकार चिकित्सा पुनर्वास के अंतर्गत कुल व्यय 16.15 करोड़ का किया जा चुका है। शेष बची राशि रू. 17.23 करोड़ में से गैस राहत के चार चिकित्सालयों में कमला नेहरू चिकित्सालय, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, खान शाकिर अली खान चिकित्सालय में माडुलर ओ.टी. का उन्नयन, निर्माण किया जावेगा एवं 03 चिकित्सालयों में सेन्ट्रल ऑक्सीजन नाइट्रस एवं वेक्यूम प्लांट तथा कमला नेहरू चिकित्सालय एवं इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय में लिफ्ट की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त कुछ आवश्यक चिकित्सीय उपकरण भी कय किये जायेंगे तथा बोनमेरो ट्रांसप्लान्ट यूनिट की स्थापना भी प्रस्तावित है। भवनों का नवीनीकरण भी इसी राशि से किया जाना है।

4. कमला नेहरू चिकित्सालय के चतुर्थ तल पर बोन मैरो ट्रान्सप्लांट यूनिट की स्थापना की जायेगी एवं उक्त यूनिट का संचालन गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के द्वारा किया जावेगा। उक्त सुविधा से गैस पीड़ित ब्लड कैंसर के मरीजों को निःशुल्क उपचार व्यवस्था का प्रावधान किया जावेगा।

5. उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त 04 औषधालय अशोका गार्डन, बाग उमराव दूल्हा, पॉली क्लीनिक इब्राहीमगंज एवं रुकमा बाई औषधालय के भवन का नवीन निर्माण किए जाने हेतु शासन अनुमति के परिपालन मे कार्यवाही प्रचलन मे है।

6. **चिकित्सालयों का कम्प्यूट्रीकरण** – विभाग द्वारा संचालित 06 चिकित्सालयों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा "e-hospital" परियोजनांतर्गत पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कम्प्यूट्रीकरण पर कुल राशि रूपए 11.43 करोड़ खर्च किए गए है। एक ग्रिड से जोड़कर गैस प्रभावितों की रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। गैस राहत चिकित्सालयों के ई–हॉस्पिटल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर आउटसोर्स कर संचालन का कार्य सौंपा गया है।

इसी अनुक्रम में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित 09 डे–केयर सेन्टर्स को भी शीघ्र कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इसी के साथ–साथ BMHRC, Bhopal & NIREH (ICMR Bhopal) को लिंक से जोड़ा गया है। उनके द्वारा गैस राहत चिकित्सालयों के मरीजों की बीमारियों तथा उपचार से संबंधित इलेक्ट्रोनिक डाटा का उपचार एवं विश्लेषण कार्य हेतु राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) भोपाल द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

कम्प्यूट्राइजेशन के माध्यम से जहां एक ओर प्रत्येक मरीज का इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड संधारित हो रहा है वही दूसरी ओर गैस राहत चिकित्सालयों के मध्य रेफरल सिस्टम भी सुदृढ़ हो रहा है अब मरीज गैस राहत चिकित्सालय से बी.एम.एच.आर.सी. चिकित्सालय में जाएगा वहां पहुंचने पर उसके यूनिक आई.डी. (UHID) को फीड करते ही संबंधित मरीज के उपचार की पूरी जानकारी का चिकित्सा इतिहास स्क्रीन पर उपलब्ध होगा जिससे चिकित्सक और मरीज दोनो को इलाज में सुविधा होगी।

7. **आयुष्मान भारत (निरामयम् योजना)** – विभाग के अंतर्गत संचालित 04 चिकित्सालयों में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत (निरामयम् योजना) का क्रियान्वयन किया गया है। उक्त योजना में वर्ष 2011 में संपन्न सामाजिक–आर्थिक जनगणना में श्रेणी डी–1 से डी–7 (डी–6 को छोड़कर) तक के नागरिकों को उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। योजना में खाद्य पात्रता पर्ची एवं संबल योजनाधारी नागरिक भी सम्मिलित हैं। माह जनवरी की मंत्रि परिषद की बैठक में गैस पीड़ितो एवं उनके पुत्र/पुत्रियो को भी इस योजना मे सम्मिलित करने हेतु निर्णय लिया गया है।

योजना अनुसार प्राप्त होने वाली राशि के संधारण में भोपाल गैस पीड़ित एवं पुनर्वास रोगी कल्याण समिति के अधीनस्थ 06 उपसमितियों का गठन किया गया जिसमें से 02 चिकित्सालयों (पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर एवं मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय) में इस योजना के अंतर्गत इलाज का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। शेष अन्य 04 चिकित्सालयों में इस योजना में 01.01.2021 से 31.12.2021 तक निम्नानुसार आयुष्मान कार्ड बनाए जाकर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं :–

GAS VICTIM AAYUSHMAN PATIENT TILL 2021		
HOSPITAL NAME	AAYUSHMAN PATIENT	GAS VICTIM
KNH	643	0
IGH	1302	8
SAK	311	62
JNH	1032	83
TOTAL	3288	153
GAS VICTIM AAYUSHMAN CANCER PATIENT		
JNCH HOSPITAL	NAVODAY HOSPITAL	CHIRAYU HOSPITAL

AAYUSHMAN PATIENT	DEATH	AAYUSHMAN PATIENT	DEATH	AAYUSHMAN PATIENT	DEATH
31	5	42	6	7	0

TOTAL AAYUSHMAN PATIENT	80	TOTAL GAS VICTIM AAYUSHMAN ACTIVE PATIENT	69
AAYUSHMAN DEATH PATIENT	11		

8. **रोगी कल्याण समिति** – गैस राहत विभाग के अधीन सभी चिकित्सालयों (कुल 06) एवं डिस्पेंसरीज (कुल–09) के लिये संयुक्त रूप से भोपाल गैस पीड़ित एवं पुनर्वास रोगी कल्याण समिति, गैस राहत दिनांक 15.09.2005 से क्रियाशील होने के पश्चात् गैस पीड़ित एवं गैर गैस पीड़ित रोगियों के स्वास्थ्य में गुणवत्ता लाने के लिये निरन्तर प्रयासरत है । समिति अपने उद्देश्यों को लेकर न केवल गैस गैस पीड़ित रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है बल्कि गैस पीड़ित रोगियों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने की गुणवत्ता में निरन्तर उन्नयन किया गया है इसी के अन्तर्गत गैस राहत चिकित्सालयों में सुपरस्पेशलिस्ट आदि की कमी को मद्देनजर रखते हुए रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में शाकिर अली खान चिकित्सालय एवं इन्दिरा गॉधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल में एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की सेवायें तथा कमला नेहरू चिकित्सालय में एक ई.ई.जी. तकनीशियन की सेवायें भोपाल गैस पीड़ित एवं पुनर्वास, रोगी कल्याण समिति, गैस राहत भोपाल के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही कमला नेहरू चिकित्सालय एवं इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकितसालय में 01–01 एम्बुलेंस चालक की सेवायें रोगी कल्याण समिति की ओर से प्रदाय की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालयों के सुचारू कार्य सम्पादन हेतु कमला नेहरू चिकित्सालय/इन्दिरा गॉधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय एवं संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास गैस राहत, भोपाल हेतु लेखापालों/स्टेनो–टाइपिस्ट की व्यवस्था रोगी कल्याण समिति के माध्यम से मानदेय के आधार पर की गयी है।

कमला नेहरू चिकित्सालय में दो शिफ्ट में डायलेसिस सेवा प्रारम्भ करने हेतु अधीक्षक, कमला नेहरू चिकित्सालय द्वारा की गई माँग के आधार पर रोगी कल्याण समिति द्वारा माह सितम्बर 2018 में 03 डायलेसिस टेक्नीशियन की नियुक्ति कर उनकी सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे कमला नेहरू चिकित्सालय में दो शिफ्ट में डायलेसिस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

गैस राहत विभाग के समस्त चिकित्सालयों में दैनिक प्रशासन एवं चिकित्सा प्रबन्धन हेतु वर्तमान में आकस्मिक व्यय के लिये प्रतिमाह राशि रू 5,000/– निरन्तर प्रदान की जा रही है जिससे सभी चिकित्सालयों में जरूरी आकस्मिक कार्य पूर्ण किये जाते हैं जिससे निश्चित ही इसका लाभ गैस पीड़ित रोगियों को मिलता है।

चिकित्सालयों में दवाईयों, उपकरण एवं जांच सामग्री की अनुपलब्धता होने पर चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा की गयी माँग के अनुसार आवश्यक औषधियाँ, उपकरण एवं जांच सामग्री रोगी कल्याण समिति की ओर से उपलब्ध करायी गयीं हैं।

वर्तमान में शासन के सहयोग से रोगी कल्याण समिति द्वारा इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल में ब्लड बैंक के उन्नयन में भी सहयोग प्रदाय किया जा रहा है।

इसी प्रकार गैस राहत विभाग के अधीन कमला नेहरू चिकित्सालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, शाकिर अली खान चिकित्सालय में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक चिकित्सालय हेतु रोगी कल्याण उप समिति का गठन करते हुए बैंक खाता खोलते हुए पात्र आंतरिक मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत करते हुए इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है।

रोगी कल्याण समिति के माध्यम से उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे।

9. **ब्लड बैंक** – इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय में पूर्व से संचालित ब्लड बैंक का उन्नयनीकरण किया जाकर ब्लड कम्पोनेंट यूनिट दिनांक 26.02.2019 को प्रारंभ की गई, जिसमें कि पूर्ण रक्त के साथ अलग–अलग पेक्ड–सेल, प्लेट्लेट्स, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा इत्यादि का संग्रहण कर आवश्यकतानुसार भोपाल शहर के मरीजों के इलाज हेतु उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

विभाग द्वारा कोविड–19 हेतु किये गए कार्य

(अ) कोविड परीक्षण

विभाग द्वारा संचालित चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों में कोविड–19 की स्क्रीनिंग एवं परीक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा कोविड–19 हेतु जारी की गई गाईडलाईन्स के अनुरूप किया गया। इस हेतु आवश्यक उपकरण जैसे थर्मल स्क्रीनिंग हेतु टच–लेस थर्मामीटर, पी.पी.ई. किट, मास्क एवं सेनेटाइज़र की व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति के सहयोग से 05 बड़े चिकित्सालयों में कोविड परीक्षण हेतु विशेष टेस्टिंग यूनिट्स की व्यवस्था की गई। समय–समय पर प्राप्त गाईडलाईन्स का पालन करते हुए फीवर क्लीनिक की व्यवस्था की गई। ये समस्त व्यवस्थाऐं वर्तमान में भी संचालित की जा रही हैं।

(ब) कोविड वेक्सीनेशन (टीकाकरण)

शासन से प्राप्त निर्देशों एवं गाईडलाइन्स को पालन करते हुए वर्तमान में गैस राहत विभाग के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, इंदिरा गांधी चिकित्सालय, मास्टर लालसिंह चिकित्सालय एवं पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर, जहांगीराबाद, भोपाल में कोविड वेक्सीनेशन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है।

आर्थिक पुनर्वास

गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास कार्य हेतु राशि रू. 104 करोड़ केन्द्र सरकार से वर्ष 2010 में प्राप्त हुई थी, जिसमें से 100 करोड़ रूपये रोजगार हेतु, 2.00 करोड़ रूपयें मार्केटिंग सेल हेतु एवं रूपये 2.00 करोड़ मानव संसाधन सेल के लिये प्रावधानित है। विभाग द्वारा अब तक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत गैस पीड़ित हितग्राहियों को ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट के आधार पर 12355 लोगों को रोजगार में स्थापित करने हेतु प्रयास किये गये थे, जिसमें राशि रूपये 18.13 करोड़ अब तक व्यय किये गये है, शेष बची राशि रूपये 85.87 करोड़ उपलब्ध है। उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्णय लिये गये –

- उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गैस पीड़ितों एवं उनके पुत्र पुत्रियों को लाभ दिलाये जाने हेतु योजना की कण्डिका (स) के अंतर्गत 166 हितग्राहियों का सत्यापन कार्यालय, कल्याण आयुक्त, भोपाल से कराया जाकर सूची भोपाल जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र को अतिरिक्त 20 प्रतिशत राशि (रुपये 1.00 लाख) की टॉपअप राशि की जानकारी प्राप्त की गयी। गैस पीड़ितो एवं उनके पुत्र पुत्रियों को योजना की अन्य पात्रताएं पूर्ण करने पर उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्कीम के अतिरिक्त 20 प्रतिशत राशि (रुपये 1.00 लाख) की पात्रता होगी।

- उक्त योजना के अन्तर्गत चिन्हित 108 गैस पीड़ित हितग्राहियों को राशि रूपये 1.00 करोड़ से टॉपअप राशि का भुगतान किये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा के–डिपोजिट में जमा राशि से राशि रूपये 1.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की जाकर 101 पात्र हितग्राहियों के लोन अकाउंट में सब्सिडी की राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से हस्तांतरित की गयी है।

चिकित्सा पुनर्वास

गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 33 चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में एलोपेथी मेडिसिन के 6 चिकित्सालय, 9 'डे–केयर यूनिट' कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्त देशी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी प्रत्येक के 03–03, कुल 09 औषधालय आयुष विभाग के अधीन संचालित हैं। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट का एक मुख्य चिकित्सालय एवं इसकी 8 मिनि यूनिट, गैस पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित हैं। विगत वर्ष में प्रतिदिन गैस राहत विभाग के चिकित्सालयों में औसतन 1979 इस प्रकार कुल 7,20,408 रोगियों का बाह्य रोगी विभाग में उपचार किया गया। इस अवधि में अन्तः रोगी मरीजों के रूप में 10,495 को लाभान्वित किया गया है एवं निःशुल्क उपचार का लाभ दिया गया है।

गैस राहत विभाग के 06 बड़े चिकित्सालयों में सुरक्षा एवं साफ सफाई व्यवस्था निजी ऐजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्स की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत गैस राहत के सभी शैय्या युक्त चिकित्सालय में साफ सफाई अच्छी गुणवत्ता की रहती है।

गैस राहत चिकित्सालय में औषधि का उपार्जन सर्वप्रथम मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन भोपाल द्वारा निर्धारित दरों से किया जाता है। जिन औषधियों की दरे उपलब्ध नहीं है, उन्हें गैस राहत विभाग द्वारा आमंत्रित खुली निविदा के माध्यम से दरों का निर्धारण कर तथा इसके अतिरिक्त यदि मरीजों को आकस्मिक सेवाओं के दौरान औषधि की आवश्यकता होती है, तो स्थानीय क्रय के माध्यम से चिन्हांकित की गई, औषधि दुकान से प्राप्त कर चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालय एवं औषधालयों का विवरण :–

(क) अस्पताल :

1.	कमला नेहरू चिकित्सालय	219 शैय्या
2.	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय	150 शैय्या
3.	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय	125 शैय्या
4.	रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी मेडिसिन सेन्टर	50 शैय्या
5.	खान शाकिर अली खान चिकित्सालय	90 शैय्या
6.	मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय	30 शैय्या
	कुल :	**664 शैय्या**

(ख) 'डे–केयर' यूनिट : (चिकित्सालय / औषधालय)

1. के.एन. प्रधान, जहांगीराबाद
2. मौलाना अबुल कलाम आजाद पुतलीघर
3. बाग उमराव दूल्हा
4. मां कर्मा देवी, करोंद
5. कुशाभाऊ ठाकरे ,नरेला शंकरी
6. सिविल डिस्पेंसरी, अशोका गार्डन

7. पॉली क्लीनिक, इब्राहिमगंज
8. रूकमाबाई
9. लाल बहादुर शास्त्री, मालीखेड़ी

(ग) देशी चिकित्सा पद्धति :

1. आयुर्वेद औषधालय :
   (1) लालघाटी (2) टीला जमालपुरा (3) चांदबड़
2. होम्योपैथी औषधालय :
   (1) कबीटपुरा (2) नारियल खेड़ा (3) टीला जमालपुरा
3. यूनानी औषधालय :
   (1) गिन्नोरी (2) रफीकिया (3) काजी केम्प

विभिन्न सुविधाऐं एवं योजनाऐं:-

1. **सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना** – के तहत सभी गैस राहत चिकित्सालयों में 252 प्रकार की निःशुल्क औषधियों का वितरण किया जा रहा है तथा सभी प्रकार की जांचे निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

2. **108 इमरजेंसी सेवा** – इस सेवा के तहत कोई भी रोगी 108 डायल कर एम्बुलेंस सेवा का निःशुल्क लाभ अपने घर से चिकित्सालय आने एवं जाने के लिए करते हैं।

3. **निःशुल्क डाईट** – गैस राहत चिकित्सलयों में भर्ती मरीजों को आहार प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

4. **डायलेसिस** – कमला नेहरू चिकित्सालय में अत्याधुनिक डायलिसिस इकाई तैयार कर 10 मशीनें स्थापित कर संचालित की जा रही है। चिकित्सालय में आने वाले गैस पीड़ित मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जनवरी से दिसम्बर 2021 तक 2605 किडनी रोग से प्रभावित व्यक्तियों को डायलिसिस सेवाओं का निःशुल्क लाभ दिया गया है।

5. **गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा** – 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक कुल 392 गैस पीड़ित कैंसर मरीजों को निजी चिकित्सालय जवाहर लाल नेहरू कैंसर चिकित्सालय, ईदगाह हिल्स भोपाल, चिरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल बैरागढ, भोपाल एवं नवोदय कैंसर चिकित्सालय, एम.पी. नगर भोपाल में उपचार हेतु रेफर किया गया है, उक्त उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति गैस राहत विभाग द्वारा की जाती है एवं इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर तक राशि रुपये 14.99 करोड़ की प्रतिपूर्ति का भुगतान कैंन्सर मरीजों के जांच एवं उपचार हेतु किया गया है। कैंसर मरीजों की प्रतिपूर्ति व्यवस्था वर्ष 1998 से प्रारम्भ हुई है। 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 6838 गैस पीड़ित कैंसर मरीज उक्त व्यवस्था से लाभान्वित हुये हैं एवं कुल राशि रुपये 108.89 करोड़ का व्यय किया गया।

6. **अत्याधुनिक रेडियोडायग्नोस्टिक जांचे** – एम.आर.आई., सी.टी. स्केन, मेमोग्राफी, कलर डाप्लर तथा पेट-सी.टी. की व्यवस्था आउटसोर्स अधिमान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से दिनांक 12.04.2017 से

की जा रही है।

दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक अधिमान्य संस्थाओं द्वारा गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों की रेडियोडायग्नोस्टिक जांचे की संस्थावार जानकारी "परिशिष्ट–4" पर उपलब्ध है।

7. **अन्य गंभीर बीमारी हेतु सहायता** – गंभीर बीमारियों से ग्रस्त गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों को विशेष प्रकरण के रूप में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रकरणों में लीवर प्रत्यारोपण, गुर्दा प्रत्यारोपण, बोन ट्यूमर, हृदय रोग, कैंसर उपचार इत्यादि शामिल हैं।

8. **स्वास्थ्य पुस्तिकाएँ** – गैस पीड़ितों के उपचार हेतु बनायी गयी स्वास्थ्य पुस्तिकाओं की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	संस्था का नाम	इस वर्ष निर्मित	कुल संख्या	क्र.	संस्था का नाम	इस वर्ष निर्मित	कुल संख्या
1	जे.एन.एच.	—	21714	9	के.एन.पी.जहाँगीराबाद	—	1061
2	आई.जी.एच.	—	21319	10	एम.ए.क्यू.पुतलीघर	31	2896
3	एम.एल.एस.	98	11106	11	के.बी.टी.नरेला शंकरी	39	1756
4	एस.ए.के.	—	6511	12	सी.डी. बी.यू.डी.	—	805
5	पी.एम.सी.	—	7089	13	एम.के.डी. करोंद	76	7116
6	के.एन.एच.	—	3656	14	एल.बी.एस.,मालीखेड़ी	—	30
7	पी.सी. इब्राहिमगंज	—	198	15	सी.डी. अशोका गार्डन	17	5581
8	रुकमाबाई, बरखेड़ी	—	1971				
महायोग						261	92809

9. **गैस पीड़ित मरीजों के स्मार्ट कार्ड** – मंत्री स्तरीय विभागीय समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.09.2016 में लिए गए निर्णय अनुसार गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के स्मार्ट कार्ड बनाये जाने के संबंध में बैठक में यह अवगत कराया गया कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर भोपाल द्वारा अब तक कुल 3,86,000 गैस पीड़ित तथा उनके बच्चो के स्मार्ट कार्ड/पहचान पत्र (Identity Card) बनाये गये है। वर्तमान में बी.एम.एच.आर.सी. द्वारा गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के बारकोडेड स्मार्ट कार्ड तैयार किये जा रहे है, लगभग 30,000 गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के स्मार्ट कार्ड अबतक बनाये गये है। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि जो स्मार्ट कार्ड बनाये जायेंगे वो दोनो संस्थाओं बी.एम.एच.आर.सी. तथा गैस राहत की चिकित्सीय ईकाईयों में एक रूपता से उपयोग हो सके।

10. **भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, करोंद** – माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.10.1991 को दिये गये निर्णय में आदेशित किया गया था कि यूनियन कार्बाइड द्वारा गैस पीड़ितों के उपचार के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अस्पताल का निर्माण किया जाये। अस्पताल के निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 85 एकड़ भूमि, भोपाल मेमोरियल हॉस्पीटल ट्रस्ट को उपलब्ध करा दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19,जुलाई, 2010 से भारत सरकार द्वारा भोपाल मेमोरियल ट्रस्ट को भंग कर इसे अधिग्रहित कर लिया गया है। यह चिकित्सालय बायोटेक्नालॉजी एवं एटॉमिक एनर्जी विभाग के अधीन संचालित किये जाने के आदेश

पारित किये गये थे। वर्तमान में यह चिकित्सालय भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत संचालित है। चिकित्सालय में निम्न विशेषज्ञता सुविधाएं उपलब्ध हैं :–

1. न्यूरो साइन्स	2. ऑप्थल्मोलॉजी	3. पल्मोनरी मेडिसिन
4. कार्डियक साइन्स	5. गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी	6. यूरोलॉजी
7 नेफ्रोलॉजी	8. पैथोलॉजी, ब्लड बैंक	9. रेडियो डायग्नोसिस

वर्तमान में बी.एच.एम.आर.सी. के अधीन संचालित 8 डिस्पेन्सरी (मिनि यूनिट्स) जिनके नाम क्रमशः 1. कैन्ची छोला 2. स्टेशन बजरिया 3. चांदबढ़ 4. टीला जमालपुरा 5. गिन्नौरी 6. जहाँगीराबाद 7. करौंद 8. बाल विहार में गैस पीड़ितों को बाह्य रोगी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तथा आवश्यकतानुसार मुख्य अस्पताल को रेफर किया जाता है।

कमला नेहरू चिकित्सालय

यह चिकित्सालय दिनांक 14 जनवरी 2000 से हमीदिया चिकित्सालय के परिसर में गैस राहत विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है ।

इस चिकित्सालय को गैस पीड़ितों के इलाज के लिये सुपर स्पेशलिटी रेफरल संस्था के रूप मे विकसित किया गया है। यहाँ पर विशेषज्ञ स्तर के चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिकित्सालय में गैस पीड़ितों को बेहतर इलाज की नई तकनीकों की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। चिकित्सालय में 139 शैय्या हैं, जिनमें से वर्तमान में 119 शैय्या क्रियाशील किये गये हैं तथा 20 शैय्या को क्रियाशील करने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं। शेष 80 शैय्या गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के पिडियाट्रिक विभाग के माध्यम से द्वितीय एवं तृतीय तल पर संचालित की जा रही है।

प्रदत्त सेवाऐं:–

चिकित्सालय में अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना कर, नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराई गई है। इस अस्पताल में उदर रोग मेडिकल वार्ड–1 (24 शैय्या), उदर रोग मेडिकल वार्ड–2 एवं पोस्ट ऑपरेटिव (30 शैय्या), नेफ्रोलॉजी–डायलिसिस इकाई (10 शैय्या), नेत्र रोग (20 शैय्या), गहन चिकित्सा इकाई (10 शैय्या) तथा पैथालॉजी विभाग एवं रेडियोलॉजी विभाग हैं। सर्जिकल वार्ड (25 शैय्या) पंचम तल पर स्थापित किया गया है। यूरोलॉजी (10 शैय्या) मानसिक रोग (10 शैय्या) विभाग प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

गहन चिकित्सा इकाई आई.सी.यू. में इकोकार्डियोग्राफी के साथ कलर डॉपलर से गैस पीडितों की गंभीर बीमारियों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा रहा है। वेंटीलेटर इत्यादि आवश्यक मशीनों से उपचार प्रदान किया जाता है।

चिकित्सालय की अति–विशिष्ट सेवाओं में उदर रोग विभाग मे जी.आई. एन्डोस्कोपी के निदान तथा उपचार प्रक्रियाएं सतत् रूप से सम्पादित की जा रही हैं। डायलिसिस यूनिट में 10 मशीनें प्रतिदिन क्रियाशील हैं।

उदर रोग सर्जरी तथा जनरल सर्जरी विभागों में सभी प्रकार के मेजर एवं माइनर ऑपरेशन किये जाते हैं। माह जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक 59 ऑपरेशन किये गये जिनमें 21 मेरज ऑपरेशन जैसे–

गालब्लेडर, हार्निया, हाईड्रोसिल, एपेन्डिक्स ऑपरेशन आदि किये गये तथा 38 माइनर ऑपरेशन किये गये।

नेत्र रोग विभाग में उच्च तकनीकी उपकरण जैसे ऑटो रेफरेक्टोमीटर, स्लिट लेम्प, अल्ट्रासाउण्ड, ए-स्केनिंग एवं बी-स्केनिंग, फील्ड एनालिसिस, सायनेप्टोफोर, एनोम्लोस्कोप आदि उपलब्ध हैं एवं विभाग के उन्नयन हेतु अत्याधुनिक उपकरण जैसेः फेकोइमल्सीफिकेशन मशीन, स्पेक्यूलर माइक्रोस्कोप, याग लेजर स्थापित किये गये हैं। मोतियाबिन्द के ऑपरेशन अति-आधुनिक पद्धति से किये जाते हैं तथा कांच बिन्दु ग्लोंकोमा का उपचार अति-आधुनिक उपकरणों से किया जा रहा है। नेत्र रोग विभाग में 20 शैय्या का वार्ड उपलब्ध है। इस वर्ष 8991 जॉच एवं फन्डस जॉच, 9625 चश्में के नम्बर, स्टि लेम्प से जाना एवं फन्डस, 483 रोगियों का ए-स्केन, 36 रोगियों का बी-स्केन की गई। 1 रोगी के ग्लूकोमा की जॉच हेतु फील्ड की जॉच की गई। 617 डारेक्ट ऑपथल्मोस्कोपी, 2198 टोनोमेट्री एवं भेंगेपन की जॉच सायनोप्टोफोर से की जाती है। कुल 450 ऑपरेशन भी किये गये है।

चिकित्सा में दन्त रोग विभाग कार्यरत है, जिसमें प्रतिदिन दन्त रोग से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

रेन्डम एक्सेस एनालाईजर, एलाइज़ा रीडर, हीमेटोलॉजी में फुली ऑटोमेटेड बॉयोकेमेस्ट्री एनालाइजर आदि स्थापित किये जा चुके हैं। चिकित्सालय के पैथोलॉजी विभाग में स्थापित उच्च तकनीकी उपकरणों से जाँच आदि का कार्य संपादित किया जा रहा है। बेक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। पैथोलॉजी विभाग में दो विशेष जाँचें : माइक्रोबायोलॉजी एवं थायरॉइड प्रोफाईल शुरू की गई।

न्यूरोलॉजी एवं मानसिक रोग विभाग में विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध हैं। चिकित्सालय में ई.एन.टी. वर्क स्टेशन एवं नवीन आधुनिक मशीन आदि स्थापित किये जा चुके हैं जिससे गैस पीड़ित लाभान्वित होंगे। चिकित्सालय में ई.एन.टी. विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध हैं।

कमला नेहरू चिकित्सालय में सेन्ट्रल ऑक्सीजन वेक्यूम (सक्शन) नाईट्रस प्लाण्ट स्थापित किया गया है। सेन्ट्रल ऑक्सीजन वेक्यूम (सक्शन) की व्यवस्था ओ.टी., आई.सी.यू., डायलिसिस यूनिट, एण्डोस्कोपी यूनिट एवं वार्डों में की गई है जिसका चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को लाभ मिल रहा है। विगत वर्ष चिकित्सालय में 500 ली./मि. पी.एस.ए. प्लांट की स्थापना की गई है।

चिकित्सालय के बाह्य रोगी विभाग में डायबिटीज़ क्लीनिक कार्यरत है, जिसमें प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक डायबिटीज़ की जाँच कर उपचार की सलाह दी जाती है।

संस्था में नवीन एवं उन्नयन कार्यः-

चिकित्सालय में परिजनों हेतु प्रतीक्षालय का निर्माण एवं शौचालयों की व्यवस्था हेतु राशि रु.143.96 लाख का कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारियों के लिये पी.जी.डिप्लोमा कोर्स

शासन के निर्देशानुसार एवं प्रदाय स्वीकृति के अनुक्रम में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा संचालित कमला नेहरू चिकित्सालय एवं इन्दिरा गाँधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल में एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारियों के लिये वर्ष 2018 से कमला नेहरू चिकित्सालय में दो

वर्षीय पी.जी.डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया गया है । वर्तमान में कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल में द्वितीय वर्ष के 02 विद्यार्थी एवं प्रथम वर्ष के 02 विद्यार्थी इस प्रकार कुल 04 विद्यार्थी अध्ययनरत है । वर्ष 2020 में 02 विद्यार्थी उक्त कोर्स पूर्ण कर चुके हैं।

पी.जी. डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों को इकोकार्डियोग्राफी प्रशिक्षण

इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय

इस चिकित्सालय में निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध हैं एवं अभी तक की सुविधाओं से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

यह अस्पताल गैस पीड़ित महिलाओं तथा शिशुओं के लिये विशेष एवं आधुनिक सुविधा युक्त 150 शैय्यायुक्त एक सम्पूर्ण चिकित्सालय है। चिकित्सालय में स्त्री रोग विभाग जिसमें बाह्य रोगी विभाग तथा आंतरिक रोगी विभाग है, तथा शिशु रोग विभाग जिसमें पीडियाट्रिक इन्टेंसिवकेयर यूनिट एवं नियोनेटल इन्टेंसिवकेयर युनिट की सुविधा अत्याधुनिक मशीन एवं उपकरणों से सुसज्जित कर प्रारंभ किया गया है। गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिये तथा शल्य क्रिया के समय रक्त की आवश्यकता रहती है। इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुये इस चिकित्सालय परिसर में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ब्लड बैंक स्थापित किया गया है एवं यह अत्यंत लाभकारी प्रतीत हो रहा है। चिकित्सालय में पंजीयन कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। परिवार कल्याण से संबंधित योजनाओं का भी नियमित रूप से पालन किया जा रहा है।

प्रदत्त सेवाऐं:-

इंदिरा गाँधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इस चिकित्सालय में टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इस चिकित्सालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में पल्स पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम के अंतर्गत पल्स पोलियो वैक्सीन वितरण केंद्र की स्थापना कर नया अध्याय जोड़ा गया है। इस केंद्र से भोपाल जिले के 09 वार्डों को वैक्सीन प्रदाय की जाती है।

चिकित्सालय के चिकित्सकगण चिकित्सालय के मरीजों की सेवा के साथ-साथ सामाजिक कार्यक्रम जैसे इज्तिमा, शालेय स्वास्थ्य परीक्षण योजना आदि में भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं।

संस्था में नवीन एवं उन्नयन कार्य:-

1. चिकित्सालय में माड्यूलर ओ.टी. का कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. चिकित्सालय में 01 नया जनरेटर स्थापित किया गया है।
3. चिकित्सालय में ऑक्सीजन एवं सक्शन प्लांट भी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।
4. चिकित्सालय में 01 नई लिफ्ट लगाई गई है।

5. इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय में गैस राहत विभाग के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालयों के लिए स्थापित ब्लड बैंक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय सहयोग से ब्लड बैंक का रेनोवेशन का कार्य किया गया है। वर्तमान में उक्त ब्लड बैंक को देश के अत्याधुनिक ब्लड बैंको की श्रेणी के अनुरूप विकसित किया जा रहा है जिसमें ब्लड के साथ–साथ ब्लड कंपोनेन्ट उपलब्ध कराने की संपूर्ण व्यवस्था की जावे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उक्त ब्लड बैंक को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किये जाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उक्त सहायता से लगभग राशि रूपये 70.00 लाख के उपकरण मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन, भोपाल तथा राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, जयपुर के माध्यम से प्रदाय कर स्थापित किये जा चुके हैं।

6. इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय में पूर्व से संचालित ब्ल्ड बैंक का उन्नयनीकरण किया जाकर ब्लड कम्पोनेंट यूनिट दिनांक 26.02.2019 को प्रारंभ की गई, जिसमें कि पूर्ण रक्त के साथ अलग–अलग पेक्ड–सेल, प्लेट्लेट्स, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़मा इत्यादि का संग्रहण कर आवश्यकतानुसार भोपाल शहर के शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों को लाभ पहुँचा सकेगा।

7. अत्याधुनिक ब्लड बैंक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ब्लड कंपोनेन्ट के सेपरेशन हेतु लगभग रूपये 70.00 लाख के अत्याधुनिक उपकरण (हेमोटोलॉजी एनालाईजर, डीप फ्रीजर, ब्लड रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजेरेटेड सायरोफयुज आदि) प्राप्त हो गये हैं।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय का प्रारंभ गैस त्रासदी के बाद 13 जनवरी, 1985 को किया गया था। प्रारंभ में इस चिकित्सालय में 30 शैय्या, एक्स–रे, पैथोलॉजी व लेबर रूम की सुविधा थी। सन् 1986 में एक नये चिकित्सालय भवन का निर्माण हुआ जिसमें बच्चा वार्ड, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, प्रसूति वार्ड, नेत्र वार्ड स्थापित किये गये। सन् 1987 में आई.सी.सी.यू. सुविधा का विस्तार किया गया।

नवम्बर, 2002 में चिकित्सालय के भू–तल पर महिला वार्ड का निर्माण किया गया। मरीजों की सुविधा

हेतु ओ.पी.डी. भवन में एक रेम्प का निर्माण किया गया। वर्तमान में लगभग 193 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त अन्य चिकित्सालयों से भी चिकित्सा अधिकारी संलग्न हैं, जिनकी सेवायें भी चिकित्सालय में ली जा रही है। चिकित्सालय में 24 घंटे आकस्मिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सालय में गंभीर मरीजों हेतु 24 घण्टे एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध है।

प्रदत्त सेवाऐं

यह चिकित्सालय एक मल्टीस्पेशिलिटी चिकित्सालय है, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, नाक, कान, गला, अस्थि रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, दन्त रोग, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एवं स्त्री रोग विभाग क्रियाशील है।

सेवाओं का विस्तार

- क्षय रोग के निदान एवं इलाज हेतु 'डॉट सेंटर' संचालित है।
- कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाई संचालित है।
- जननी सुरक्षा योजना का लाभ गर्भवती माताओं को दिया जाता है।
- प्रसव परिवहन योजना संचालित है।
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना का लाभ मरीजों को दिया जाता है।
- राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम संचालित है।
- पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

नवीन कार्य एवं उन्नयन की जानकारी

- मॉड्यूलर सर्जिकल ओ.टी. का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- सर्जिकल वार्ड में फाल्स सिलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- ऑक्सीजन सप्लाई लाईन का कार्य बच्चा वार्ड, मेडिकल वार्ड (आई.सी.यू.), प्रसूति वार्ड, सर्जिकल वार्ड में पूर्ण हो चुका है।
- सम्प टैंक का कार्य प्रगति पर है।
- कोविड–19 उपचार एवं निदान हेतु चिकित्सालय में 40 ऑक्सीजन बेड तैयार हैं।

रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी मेडिसिन सेन्टर

यह अस्पताल मुख्य रूप से फेफड़े से संबंधित बीमारियों की पृथक से चिकित्सा प्रदान करने हेतु है।

इस चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती करने एवं ओ.पी.डी. में उपचार प्रदाय करने की सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सालय के ई.एन.टी. वर्क स्टेशन जिसमें नाक, कान एवं गले के रोगियों की जांचे की जाती है, कार्यरत है।

चिकित्सालय में ह्रदय रोगियों के परीक्षण हेतु ई.सी.जी., इकोकार्डियोग्राफी मशीन एवं टी.एम.टी. मशीन उपलब्ध हैं जिससे आवश्यकतानुसार मरीजों को परीक्षण कर उपचार प्रदान किया जाता है।

चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी, एक्स–रे, यू.एस.जी. एवं पैथोलॉजी आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे : मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण इत्यादि का संचालन भी चिकित्सालय से किया जा रहा है।

खान शाकिर अली खान चिकित्सालय

यह 90 शैय्यायुक्त चिकित्सालय है जिसमें 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा रोगियों हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहां एक्स–रे, पैथालॉजी, अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थियेटर एवं शल्य क्रिया तथा नेत्र रोग की चिकित्सा सुविधा भी यहां उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त इस अस्पताल में राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे : पल्स पोलियो, स्कूल हेल्थ, मलेरिया उन्मूलन, टी.बी. उन्मूलन के इलाज हेतु डॉट कार्यक्रम एवं कुष्ठ रोग उन्मूलन आदि भी नियमित रूप से संचालित किये जाते हैं।

यह चिकित्सालय शहर की घनी बस्ती में संचालित है, यहाँ बेड आक्यूपेंसी शत–प्रतिशत रहती है।

मास्टरलाल सिंह चिकित्सालय

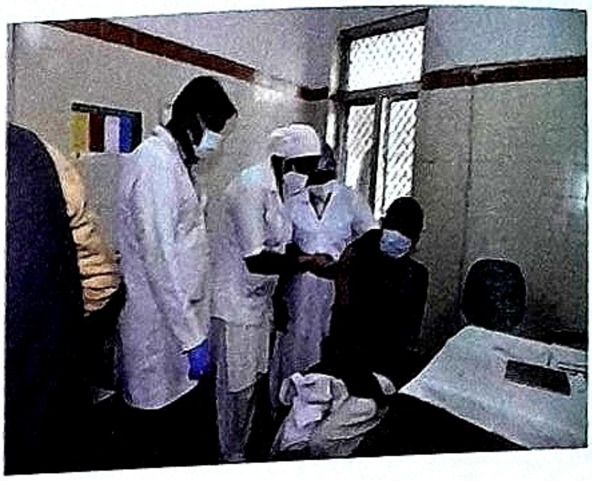

यह चिकित्सालय गैस प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु शाहजहाँनाबाद स्थित पुरानी जिला अदालत के पीछे स्थित है। इस चिकित्सालय में 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा रोगियों हेतु उपलब्ध है।

प्रदत्त सेवाऐं:-

1. चिकित्सालय में परिवार कल्याण नियोजन संबंधी शल्य क्रिया की जाती है।
2. नेत्र रोग चिकित्सा उपलब्ध है एवं मरीजों को इस का लाभ मिल रहा है।
3. राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स-पोलियो, स्कूल हैल्थ, मलेरिया उन्मूलन, टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम संचालित है।

नवीन कार्य:-

संस्था के ओ.पी.डी. विभाग में एक परिवार नियोजन कक्ष का निर्माण किया जा चुका है। जिसमें प्रतिदिन महिला रोगियों का नियमित उपचार किया जा रहा है एवं परिवार नियोजन संबंधी सभी सुविधायें निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है।

डे–केयर सेंटर

गैस राहत विभाग की समस्त डिस्पेंसरी तथा पॉली क्लीनिक को डे–केयर सेंटर में परिवर्तित कर शैय्या की व्यवस्था की गई तथा समस्त केन्द्रों का कार्य समय प्रातः 9.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे कर दिया गया। वर्तमान में मॉ कर्मादेवी डे–केयर सेंटर करोंद में 02 पारी प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक एवं दूसरी पारी दोपहर 02:00 बजे से रात्री 08:00 बजे तक में संचालित है, इस संस्था में सभी विशेषज्ञ सुविधायें रोटेशन आधार पर उपलब्ध है, साथ ही एक्स–रे एवं पेथोलाजी की सुविधा उपलब्ध है। रोजमर्रा की सामान्य बीमारियों को जिसमें मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें दिन भर ऑब्जर्वेशन में रखकर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। कुछ डे–केयर सेंटर में एक्स–रे, रक्त आदि की सामान्य जाँच की सुविधा उपलब्ध है।

सामाजिक पुनर्वास

पेयजल

गैस प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिये राशि रूपये 50.00 (रूपये पचास करोड़) गैस राहत विभाग द्वारा नगर निगम, भोपाल को उपलब्ध कराये गये है, इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :–

टंकियों के कार्य :– निम्नलिखित 10 टंकियों के कार्य किये गये हैं:–

क्र	टंकी का नाम	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	शबरी नगर	1500 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।
2	दामखेड़ा	1150 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।
3	पिंजोमल धर्मशाला	1600 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।
4	नयापुरा ग्वालबाबा के चबूतरे के पास	1000 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।
5	मुफ्तीसाहब कब्रिस्तान	2000 किलो लीटर	निर्माण कार्य किया गया है। टंकी को भरने हेतु फीडर लाइन एवं जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण।
6	शान्ति नगर	2400 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।
7	ग्रीनपार्क	1550 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।
8	अयोध्या नगर	2000 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।
9	टीलाजमालपुरा	500 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।
10	चौकसे नगर	2225 किलो लीटर	निर्माण कार्य पूर्ण, जलप्रदाय प्रारम्भ।

1. टंकियों को भरने हेतु फीडरमेन का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो गया है।
2. गैस प्रभावित क्षेत्रों में कुल 339.23 किमी पाइप लाइन बिछाया जाना था। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3. जीवन ज्योति कालोनी में 10.80 किमी पाइप लाइन बिछायी गई है एवं यह कार्य पूर्ण हो चुका है।
4. गैस प्रभावित 22 बस्तियों में कुल 10124 निःशुल्क नल कनेक्शन किये गये हैं। इसके अतिरिक्त गैस प्रभावित वार्ड क्रमांक 11 से 16 एवं 66 से 70 में कुल 20578 घरेलू कनेक्शन किये गये हैं। इस प्रकार 30702 घरेलू कनेक्शन किये गये हैं।
5. गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय हेतु कुल 16 नग टेंकरों का क्रय किया गया है।

गैस पीड़ित विधवा पेंशन योजना–

मार्च 2011 में रशि रूपये 30 करोड़ गैस पीड़ित विधावा पेशन योजना अंतर्गत 5000 गैस पीडित विधवा महिलाओं को 5 वर्ष तक 1000/– रूपये प्रतिमाह भुगतान करने हेतु प्राप्त हुए थे, उक्त राशि बैंको में एफ.डी. के रूप में जमा की गई है। बैंको की मॉग अनुसार समय–समय पर एफडी तोड कर भुगतान हेतु बैंको को राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसी गैस पीड़ित विधवा महिलाएं जिनकी समय अवधि 7 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण भुगतान रोक दिया गया था उनको शासन आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 1000/– प्रतिमाह के मान से 4500 विधवा महिलाओं को माह अप्रैल 2021 से भुगतान किये जाने हेतु राशि

रूपये 5.40 करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। दिनांक 09.09.2021 को माननीय मंत्री जी, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास एवं चिकित्सा शिक्षा, विभाग के मुख्य आतिथ्य में समारोह आयोजित किया जाकर माह अप्रैल–2021 से अगस्त–2021 तक 05 माह की राशि रूपये 5000/– उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गयी है।

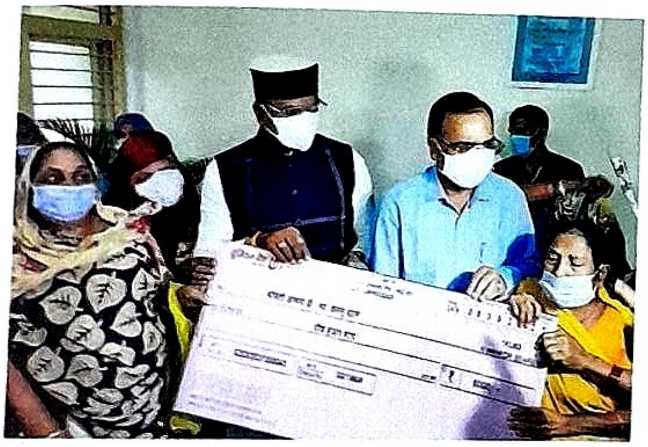

आवास एवं अन्य सुविधाऐं

आवास आवंटन – जीवन ज्योति कॉलोनी

जीवन ज्योति कॉलोनी, करोंद कला में निर्मित 2486 आवास गृहों में से गैस त्रासदी में मृत व्यक्तियों के वारिसों को 2435 आवास आवंटित हैं। शेष 51 आवासों की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:–

कुल निर्मित आवास	आवंटित आवासों की संख्या	51, शेष आवासों की जानकारी		
		दस्तावेज के आभाव में लंबित	पट्टा देने के बाद रजिस्ट्री प्राप्त नहीं	रिक्त आवास
2486	2435	21	12	18

18 रिक्त आवासों में अनाधिकृत रूप से विगत कई वर्षों से रह रहे व्यक्तियों को प्रशासनिक व अन्य अधिकारियों के सहयोग से समग्र 17 आवासों को पूर्ण रूप से रिक्त कराकर आवासों का अधिपत्य गृह निर्माण मंडल को सौंपा गया है।

वर्कशेड–गैस प्रभावित क्षेत्रों में संचालित कुल 41 वर्कशेड एवं 10 पहचान केन्द्र शासकीय–अशासकीय संस्थाओं को शासन द्वारा आवंटित है, अशासकीय संस्थाओं को आवंटित वर्कशेड एवं पहचान केन्द्रों में गैस पीड़ित प्रभावितों के रोजगारोन्मुख उनके प्रशिक्षणार्थ आवंटित किये गये हैं। जिनमें जरी, दरगोजी, कढ़ाई–बुनाई, जूट बांस से निर्मित सामग्री का प्रशिक्षण तथा प्रिंटिंग व कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सामुदायिक भवन – म.प्र. शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के आदेश क्रमांक 5–6/86/47–1 दिनांक 04.09.2003 द्वारा केफ सामुदायिक भवन, काजीकेम्प व रसूल अहमद सिद्दिकी सामुदायिक भवन, लालघाटी भोपाल में संचालित है। उक्त सामुदायिक भवन गरीब गैस पीड़ितों को सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजन हेतु रुपये 500/– प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराये जाते हैं, तथा आवेदन से भवन की साफ–सफाई के लिये रुपये 100/– की राशि पृथक से ली जाती है।

स्फूर्ति योजना–व्यायाम शाला निर्माण

गैस प्रभावित क्षेत्रों में 7 योगा–सह–व्यायाम केन्द्रों का निर्माण किया गया है। इसकी कुल लागत रूपये 3.68 करोड़ है।

निम्न स्थानों पर व्यायाम शालाओं का निर्माण किया गया है :–

1. वाजपेयी नगर
2. चौकसे नगर
3. सेन्ट्रल लायब्रेरी के समीप
4. जीवन ज्योति कालोनी
5. राजेन्द्र नगर
6. शबरी नगर
7. शंहशाह गार्डन

उपरोक्त समस्त योगा–सह–व्यायाम केन्द्रों (स्फूर्ति केन्द्रो) के निर्माण उपरान्त सर्वप्रथम नगर पालिक निगम भोपाल को संचालन हेतु आधिपत्य सौंपा गया था। विभाग द्वारा यह पाया कि उक्त योगा–सह–व्यायाम केन्द्र उद्देश्य के अनुरूप कियाशील नहीं किये जा सके। दिनांक 06.02.2016 को गैस प्रभावित क्षेत्र में निर्मित योगा–सह–व्यायाम केन्द्रों को नगर पालिक निगम भोपाल से वापस लेते हुये इन केन्द्रों को संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन को संचालन हेतु आवंटित किया गया। संस्कृति संचालनालय द्वारा भी उक्त योगा केन्द्रो का आधिपत्य नगर निगम, भोपाल से प्राप्त न होने के कारण इनके संचालन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के आदेश क्र. एफ 172/2018/47 दिनांक 22/03/2019 के परिपालन में संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन को आवंटित योग–सह व्यायाम केन्द्र का आवंटन आदेश निरस्त किया गया है। शासन के उक्त आदेश के परिपालन में उक्त योगा केन्द्रों को पी.पी.पी. मॉडल पर संचालन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

गैस प्रभावित 16 क्षेत्रों में विद्यालयों का उन्नयन

गैस प्रभावित क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों का उन्नयन :–

(1) शासकीय प्राथमिक शाला, आरिफ नगर, भोपाल

(2) शासकीय माध्यमिक शाला, आरिफ नगर, भोपाल

(3) शासकीय प्राथमिक शाला सरदार पटेल, भोपाल

(4) शासकीय माध्यमिक शाला सरदार पटेल, भोपाल

(5) शासकीय प्राथमिक शाला, ब्रिजिसिया, भोपाल

(6) शासकीय माध्यमिक शाला, ब्रिजिसिया, भोपाल

(7) शासकीय प्राथमिक शाला द्वारका नगर, भोपाल

(8) शासकीय माध्यमिक शाला द्वारका नगर, भोपाल

(9) शासकीय माध्यमिक शाला बालक चाँदबड़, भोपाल

(10) शासकीय प्राथमिक शाला विजय नगर, भोपाल

(11) माध्यमिक शाला गिन्नौरी, भोपाल

(12) शासकीय माध्यमिक शाला संजय नगर, टीलाजमालपुरा, भोपाल

(13) प्राथमिक शाला करोंद स्कूल करोंद भोपाल

(14) शासकीय सरदार पटेल स्कूल, करोंद भोपाल

(15) शासकीय प्राथमिक शाला छोला, भोपाल

(16) जीवन ज्योति कालोनी करोंद में स्थित शासकीय सरदार पटेल स्कूल, भोपाल

सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण एवं मार्डन डस्टबिन प्रदाय

राशि रुपये 5.00 करोड की लागत से गैस प्रभावित क्षेत्रों में 10 सुलभ काम्पलेक्स का निर्माण एवं 500 माडर्न डस्टबिन उपलब्ध कराये गये हैं।

विभाग के अंतर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्य

कमला नेहरू चिकित्सालय में ह्रदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए सर्व सुविधायुक्त स्पेशल वार्ड (कार्डियेक केयर यूनिट) की व्यवस्था किये जाने हेतु कार्डियेक केयर यूनिट स्थापना के लिए राशि रुपये 48.17 लाख के प्रस्ताव एकल नस्ती के माध्यम से संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास की ओर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्य प्रारंभ कराया जाना प्रस्तावित है।

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विभाग के छः चिकित्सालयों में से चार चिकित्सालयों यथा कमला नेहरू चिकित्सालय, इंदिरा गांधी चिकित्सालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं खान शाकिर अली खान चिकित्सालय में वर्तमान ओ. टी. व्यवस्थाओं को रेनोवेशन कर माड्यूलर ओ.टी. में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त कार्य पर होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा गैस पीड़ितों के चिकित्सा एवं पुनर्वास मद के अंतर्गत द्वितीय प्लान ऑफ एक्शन में से किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है, जिसके परिपालन में मध्यप्रदेश शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पत्र क्र. एफ 6–20/2018/47 दिनांक 03.07.2019 ने कुल राशि रुपये 6.71 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निम्न कार्य संपादित कराये जाना है:–

कमला नेहरू चिकित्सालय –

चिकित्सालय में ओ.टी. व्यवस्थाओं को रेनोवेशन कर 02 माड्यूलर ओ.टी. एवं ओ.टी. काम्पलेक्स में परिवर्तित किये जाने हेतु राशि रुपये 2.81 करोड़ का प्रावधान उक्त प्रशासकीय स्वीकृति में किया गया है। इस कार्य हेतु अनुबंध निष्पादि कर लिया गया है। शासन स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कमला नेहरू चिकित्सालय भवन का अधिपत्य दिनांक 29.11.2021 को लोक निर्माण विभाग के अधीन सौंप दिया गया है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग स्तर से संपादित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रशासकीय स्वीकृति में दो नग पुरानी लिफ्टों को निकालकर नवीन लिफ्ट प्रदाय एवं स्थापना (विद्युतीकरण कार्य सहित) कार्य हेतु रुपये 68.00 लाख केवल का प्रावधान किया गया है। दो नग में से 01 नग लिफ्ट स्थापना कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 01 नग लिफ्ट का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय –

उक्त प्रशासकीय स्वीकृति राशि रुपये 6.71 करोड़ के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्थित ओ.टी. की व्यवस्थाओं को रेनोवेशन कर 01 माड्यूलर ओ.टी. एवं ओ.टी. काम्पलेक्स में परिवर्तित किये जाने हेतु राशि रुपये 1.37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिकित्सालय की ओ.टी. व्यवस्थाओं को रेनोवेशन कर माड्यूलर ओ.टी. में परिवर्तित किये जाने का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

इंदिरा गांधी चिकित्सालय –

शासन द्वारा प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति राशि रुपये 6.71 करोड़ के अंतर्गत इंदिरा गांधी चिकित्सालय में स्थित ओ.टी. की व्यवस्थाओं को रेनोवेशन कर 01 माड्यूलर ओ.टी. एवं ओ.टी. काम्पलेक्स में परिवर्तित किये जाने हेतु राशि रुपये 1.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा मॉडयूलर ओ.टी. व्यवस्था अधीक्षक, इंदिरा गांधी चिकित्सालय के अधिपत्य में सौंपी जा चुकी है।

शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति राशि रुपये 6.71 करोड़ में इंदिरा गांधी चिकित्सालय की एक नग पुरानी लिफ्ट को निकालकर नवीन लिफ्ट प्रदाय एवं स्थापना (विद्युतीकरण कार्य सहित) कार्य हेतु रुपये 34.00 लाख केवल का प्रावधान किया गया है। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

खान शाकिर अली खान चिकित्सालय –

शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति राशि रुपये 6.71 करोड़ में खान शाकिर अली खान चिकित्सालय की ओ.टी. की व्यवस्थाओं को रेनोवेशन कर 01 माड्यूलर ओ.टी. एवं ओ.टी. काम्पलेक्स में परिवर्तित किये जाने हेतु राशि रुपये 1.19 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सालय की ओ.टी. व्यवस्थाओं को रेनोवेशन कर माड्यूलर ओ.टी. में परिवर्तित किये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

शाकिर अली चिकित्सालय भवन का पुराना भाग लगभग 60 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया है जो कि निरंतर मरम्मत उपरांत भी उपयोग हेतु सुरक्षित नहीं है। भवन में कई स्थानों से पानी का रिसाव भी होता है। भवन अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। चिकित्सालय के उक्त पुराने भवन (ब्लॉक) को तोड़कर उसकी जगह नया भवन निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस चिकित्सालय के पुराने भवन का पुनर्निमाण कार्य हेतु राशि रुपये 96.19 लाख केवल के प्राक्कलन तैयार स्वीकृति हेतु संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास के अधीन

प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्य प्रारंभ कराया जाना प्रस्तावित है।

गैस प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों/नालियों/के निर्माण हेतु विस्तृत कार्य योजना (डी.पी.आर. की स्वीकृति बाबत्)–

भोपाल शहर के 36 वार्ड गैस प्रभावित हैं, जिसमें से 20 वार्ड अत्यन्त सघन बसाहट क्षेत्र में स्थित है जिनके कुछ क्षेत्रों में सड़क/नालियाँ निर्मित नहीं हैं अथवा अत्यंत जर्जर अवस्था में है जिससे क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। इस अत्यन्त सघन क्षेत्र के विकास हेतु क्षेत्र के रहवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर किये गये अनुरोध के आधार पर इस क्षेत्र को मुख्य विकास धारा में सम्मिलित किये जाने एवं क्षेत्र के सामान्य जन को प्रदूषण से मुक्ति दिलाये जाने के उद्देश्य से उक्त अत्यन्त खराब वार्डों में विकास कार्य के अंतर्गत मार्गों तथा नालियों के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 74.75 करोड़ की विस्तृत कार्य योजना (डी.पी.आर.) तैयार कर केन्द्रीय रसायन एवं पेट्रोकैमीकल मंत्रालय के अधीन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है, ताकि केन्द्र सरकार की आर्थिक सहायता से उक्त क्षेत्र में विकास कार्य संपादित कराये जा सकें।

विभिन्न गैस प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत चार डे-केयर यूनिट्स यथा रुक्माबाई, अशोका गार्डन, इब्राहिमगंज एवं बाग उमराव दूल्हा डिस्पेन्सरी का पुर्ननिर्माण कार्य –

नवीन कार्य योजना-2010 की प्रगति से संबंधित बैठक दिनांक 24.08.2010 के कार्यवाही विवरण अनुसार चिकित्सा पुनर्वास मद अंतर्गत चार नग डे-केयर सेन्टर (डिस्पेन्सरीज़) यथा रुक्माबाई, अशोका गार्डन, इब्राहिमगंज एवं बाग उमराव दूल्हा के पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 4.39 करोड़ केवल की प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पत्र क्र.एफ 6-20/2018/47 दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्रदान की गई है। उक्त डिस्पेन्सरियों का पुर्ननिर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ कराया जाना प्रस्तावित है।

पर्यावरणीय पुनर्वास

रासायनिक एवं अन्य अपशिष्टों का रेमेडिएशन तथा स्थल विकास की कार्य योजना

वर्तमान में यूसीआईएल फैक्ट्री परिसर में पड़े हुए 337 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों को सुरक्षित गोदाम में रखा गया है। 40 मीट्रिक टन लाइमस्लज का जून 2008 में TSDF पीथमपुर में सुरक्षित लेण्ड फिल किया गया है। शेष अपशिष्ट का विनिष्टीकरण एस.एल.पी.सी. 9874/12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2014 अनुसार याचिकाकर्ता भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को UCILपरिसर में संग्रहित 10 MT अपशिष्ट का निराकरण करने का निर्देश दिया है। भारत सरकार ने अपनी ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मण्डल को अधिकृत किया है।

केन्द्रीय प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा माह अगस्त–2015 में 10 MT, UCIL अपशिष्ट पदार्थ को पेकिंग कर भोपाल से TSDF पीथमपुर में सुरक्षित परिवाहन कर Trial Run किया जा चुका है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार की संस्थान IICT, NGRI, Hydrabad NEERI, Nagpur द्वारा UCIL परिसर में खण्डहर संयंत्र तथा स्थल पर अन्य प्रदूषित तत्वों (प्रदूषित मिट्टी लगभग 1.1 मी.ट., मरक्यूरी स्पिलेज लगभग 1.0 मीट्रिक टन, कोरोडेड संयंत्र लगभग 1500 मी.ट.एवं भूमिगत डम्प्स लगभग 150 मी.ट.) का आंकलन किया गया है, के निष्पादन हेतु चयनित ऐजेंसी के माध्यम से निष्पादन की कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जाकर क्रियान्वयन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सचिव, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की बैठक दिनांक 17. 02.2016 के अनुक्रम में निर्णय लिया गया कि यू.सी.आई.एल. परिसर में संग्रहित 337 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट पदार्थो का विनिष्टीकरण पीथमपुर स्थित इनसीनेरेटर में ट्रायल रन के सफल परिणामों के आधार पर सी.पी.सी.बी., नई दिल्ली के द्वारा किया जावेगा। एजेन्सी का चयन रीपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन (भोपाल से पीथमपुर) का दायित्व तथा विनिष्टीकरण के दौरान फोटोग्राफी, आवश्यक उपकरणों को स्थापित कर तकनीकी मॉनीटरिंग की जावेगी जिससे उक्त क्षेत्र के रहवासियों पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े, इस कार्य हेतु संपूर्ण सहयोग मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा दिया जावेगा।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा परिसर में अपशिष्ट पदार्थो की रीपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन (भोपाल से पीथमपुर) के दौरान निगरानी, कानून व्यवस्था, प्रेस ब्रीफिंग, मीडिया मेनेजमेन्ट, अशासकीय संगठनों से समन्वय स्थापित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य शासन के संबंधित विभाग (गैस राहत, गृह, जनसंपर्क एवं पर्यावरण विभाग) द्वारा निष्पादित की जावेगी।

उक्त अपशिष्ट पदार्थों के विनिष्टीकरण हेतु ई–टेंडर के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। राज्य शासन द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षणोपरांत, द्वितीय बार आमंत्रित निविदा में प्रस्तुत निविदाकारों में सफल निविदाकार के प्रस्ताव पर अनुशंसा की गयी एवं गैस राहत विभाग द्वारा सफल निविदाकार की स्वीकृति तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है ताकि 337 मीट्रिक टन रासासनिक कचरें के विनिष्टीकरण की कार्यवाही समय–सीमा में संपादित की जा सकें।

भोपाल गैस त्रासदी स्मारक निर्माण

वर्ष 1984 में भोपाल शहर में स्थित युनियन कार्बाइड कारखाने से एम.आई.सी. गैस रिसाव के कारण दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में युनियन कार्बाइड परिसर में स्मारक निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग द्वारा निर्णय लिया गया था।

स्मारक निर्माण कार्य का रूपांकन तैयार करने हेतु, एप्को (EPCO) को शासन द्वारा अधिकृत किया गया है। एप्को द्वारा वास्तुविद सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित कर मेसर्स स्पेस मैटर्स, नई दिल्ली को वास्तुविद् नियुक्त किया गया है। वास्तुविद द्वारा तैयार किये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुसार परियोजना में लगभग राशि रूपये 379.20 करोड़ का व्यय होगा।

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग द्वारा परिसर में संग्रहित रासायनिक पदार्थों के विनिष्टीकरण संबंधि कार्यवाही की जा रही है। माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग द्वारा युनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 70 एकड़ क्षेत्र को विकसित कर ओपन थियेटर, रिसर्च एवं डेवलपमेंट युनिट, आदि सहित भोपाल मेमोरियल बनाया जाना प्रस्तावित है।

निर्माण कार्य तीन चरणों में पूर्ण करने हेतु निर्णय लिया गया है प्रथम चरण में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु वास्तुविद द्वारा तैयार किये गये रूपांकन के अनुसार मध्यप्रदेश शासन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पत्र क्र. ए–2–680/2007/32 दिनांक 23.02.2007 से राशि रूपये 10.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्थल विकास की रूपरेखा

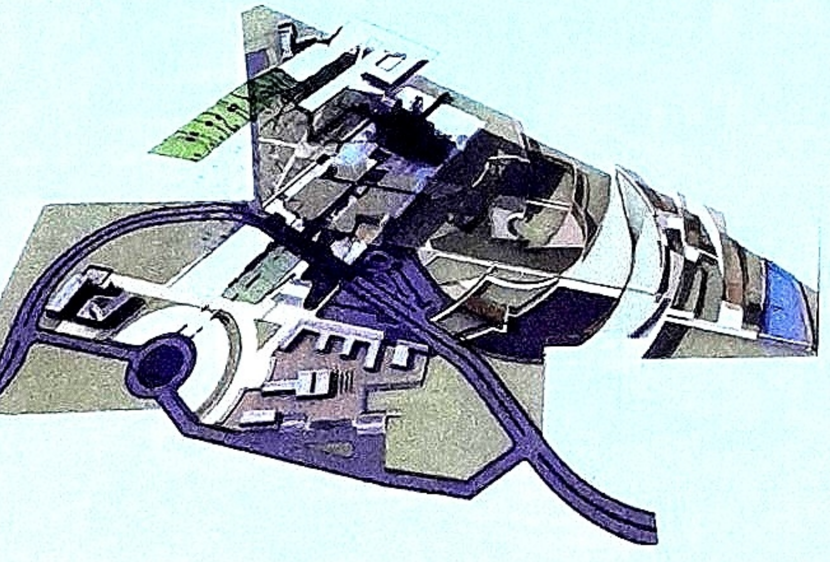

स्थल के विकास की रूपरेखा चित्र

योजना के मुख्य धटक

1 **स्मारक –**

- संग्रहालय
- प्रदर्शनी स्थान (कॉच मे सुरक्षित)
- गैर शासकीय संस्थाओं हेतु किआरॅस्क
- प्रशासन, टिकट, सुविधाएं

2 अनुसंधान केन्द्र–
- प्रयोगशालाऐं
- कार्यालय
- छात्रावास
- सम्मेलन कक्ष
- आडिटोरियम
- ग्रीन हाउस एवं टेस्टिंग

3 **सामुदायिक सुविधाएं**– पाठशाला तथा युवाओं हेतु सुविधाएं,कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र, क्राफ्ट बाजार, सामुदायिक भवन, पार्किगं

4 **स्मारक पार्क**– बावडी, ग्रीन हाउस तथा टेस्टिंग स्टाल्स

5 **अन्य सेवाएं जनरेटर, पम्प रूम, पार्किंग**–दोपहिया 115,चार पाहिया वाहन 95, बसें 5

क्षेत्रफल का विवरण

स्थल का कुल क्षेत्रफल–67 एकड

निर्मित क्षेत्रफल

निचला भूतल	11600 वर्गमीटर
भूतल	22084 वर्गमीटर
प्रथम तल	3531 वर्गमीटर
द्वितीय तल	1256 वर्गमीटर
कांच मे सुरक्षित प्रदर्शन	3050 वर्गमीटर

कुल निर्मित क्षेत्रफल–39881 वर्गमीटर (40 हजार वर्गमीटर)

लागत का विवरण – भवन के कार्य विकास कार्य सिविल कार्य विद्युतिकरण कार्य	कुल लागत – 117.00 करोड़ (लगभग)

योजना के विकास के विभिन्न चरणः–

प्रथम चरण

- परिसर के अन्दर मुख्य मार्ग का विकास
- संपूर्ण परिसर का विकास तथा परिसर में आंतरिक मार्ग, विद्युतीकरण, जल प्रदाय लाईन्स, ड्रेनेज इत्यादि
- स्मारक सर्कल–स्टेच्यू ऑफ द वेलिंग लेडी' की पुनर्स्थापना
- कारखाने का उन्नयन तथा बावडी का पुनरूद्धार
- स्मारक पथ का विकास

द्वितीय चरण

- सामुदायिक सुविधाओं का विकास
- अनुसंधान केन्द्र का विकास

तृतीय चरण

- परिसर का खुले स्थान का सुनियोजित भू-दृष्यीकरण

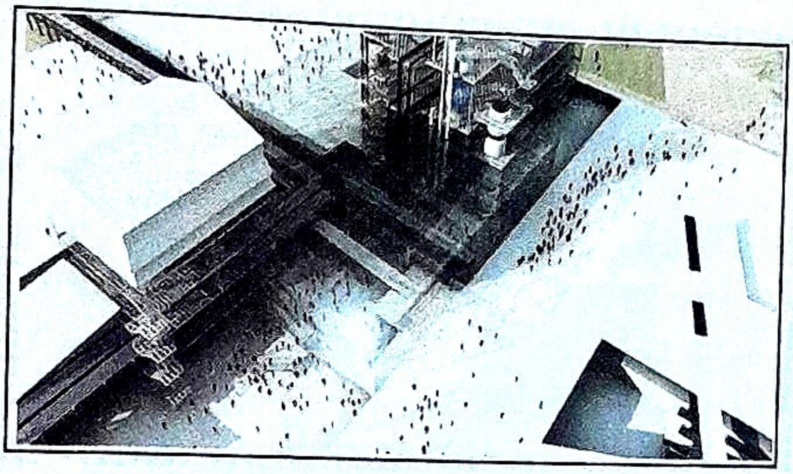

स्थल विकास में फैक्ट्री का चित्रण

भाग – चार

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

I. भोपाल गैस रिसन त्रासदी के तुरंत पश्चात् राज्य शासन द्वारा गैस पीड़ितों को प्रदत्त तात्कालिक राहत

- माह दिसंबर, 1984 में गैस पीड़ितों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता।
- 78,880 परिवार जिनकी मासिक आय रु. 500/– प्रतिमाह से कम थी, को 11.80 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता।
- 19.20 करोड़ रुपये का मुफ्त खाद्यान्न, दूध इत्यादि का गैस पीड़ितों में वितरण।
- मृत मवेशियों के पालकों को 0.26 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि वितरित।
- त्रासदी के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके आश्रितों को राज्य शासन द्वारा रु. 10,000/– की अनुग्रह राशि प्रति परिवार कुल 3,787 परिवारों को रु. 3.78 करोड़ की राशि वितरित।

II. भोपाल गैस रिसन त्रासदी के तुरंत पश्चात् राज्य शासन द्वारा गैस पीड़ितों को प्रदत्त अंतरिम राहत

(i) उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित अंतरिम राहत – आदेश दिनांक 21/28.04.89

क्र.	अंतरिम राहत की राशि	अंतरिम राहत के पात्र परिवारों/व्यक्तियों का विवरण	परिवारों की संख्या जिन्हें राहत राशि दी गई
1.	रु. 750/– प्रतिमाह	गैस रिसन के कारण ऐसे परिवारों को जिसमें कम से कम एक वयस्क की मृत्यु हुई हो	2007
2.	रु. 500/– प्रतिमाह	उन व्यक्तियों को जिन्हें पूर्ण स्थाई निःशक्तता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया हो	37
3.	रु. 300/– प्रतिमाह	उन व्यक्तियों को जिन्हें आंशिक स्थाई अथवा निःशक्तता श्रेणी में वर्गीकृत किया हो	6229
4.	रु. 1000/– एक मुश्त	उन व्यक्तियों को जिन्हें स्थाई अथवा निःशक्तता श्रेणी में वर्गीकृत किया हो	12669

(ii) राज्य शासन द्वारा आदेशित अंतरिम राहत

राज्य शासन द्वारा उन परिवारों को जिनमें कम से कम एक व्यक्ति का चिकित्सा अभिलेखीकरण निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया हो उन्हें 1 जनवरी, 90 से एक साल के लिए रु. 300/– प्रतिमाह की राहत राशि 237 परिवारों को रु. 4.86 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

(iii) केन्द्र शासन द्वारा आदेशित अंतरिम राहत

भोपाल शहर के कुल 56 वार्डों में से केवल 36 वार्ड गैस प्रभावित घोषित किए गए:–

- **गैस पीड़ित घोषित 36 वार्डों के 5 लाख हितग्राहियों के लिए योजना :**

  दिनांक 01.04.90 से 31.03.93 तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रु. 200/– की अंतरिम राहत सहायता के रूप में कुल रु. 7,200/– की अंतरिम सहायता विभिन्न बैंकों के माध्यम से कुल रु. 359.15 करोड़ का भुगतान।

  उपरोक्त पांच लाख व्यक्तियों में से 3.90 लाख व्यक्तियों को पात्रतानुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.93 के अनुसार 01.06.93 से 31.05.96 तक पात्र व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रूपए 200/– की अंतरिम सहायता का भुगतान ।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 36 वार्डों के उपरोक्त 5 लाख खातों के अलावा 78,010 खाते खोल कर दिनांक 01.03.92 से फरवरी 95 तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रु. 200/– की अंतरिम सहायता कुल रु. 7,200/– का भुगतान।

III. दावा आवेदन वर्ष 1985 से वर्ष 1989 तक तथा वर्ष 1996–97 में दो फेज में आमंत्रित किये गये। प्रथम फेज (1985–89) में 6,18,659 मामले पंजीकृत किये गये। द्वितीय फेज (1996–97) में 4,10,856 दावा आवेदन प्राप्त हुए।

1985–89 एवं 1996–97 में प्राप्त दावा फार्म

स. क्र.	श्रेणी	मामलों की संख्या		
		वर्ष 1985–89	वर्ष 1996–97	योग
1.	व्यक्तिगत क्षति के लिये प्रस्तुत दावे	5,97,908	4,03,816	10,01,724
2.	पशुधन की हानि के लिये प्रस्तुत दावे	612	46	658
3.	वाणिज्यिक/व्यापारिक संस्थानों द्वारा उन्हें हुई हानि के लिये प्रस्तुत दावे	4,745	157	4,902
4.	मृत्यु के मामलों में प्रस्तुत दावे	15,310	6,841	22,151
5.	केन्द्रीय/राज्य शासन/अशासकीय संगठनों द्वारा उन्हें हानि के लिये प्रस्तुत दावे	84	—	84
	योग :	6,18,659	4,10,859	10,29,519

दावा न्यायालयों द्वारा निपटाए गए दावा प्रकरणों की स्थिति :–

भारत सरकार द्वारा स्थापित कल्याण आयुक्त द्वारा दिनांक दिसम्बर 2021 तक प्रदान किये गये कुल दावा व मुआवजा प्रकरणों की स्थिति :

क्र.	विवरण	संख्या
1.	पंजीकृत दावा प्रकरणों की संख्या	10,29,519
2.	निपटाये गये दावा प्रकरणों की संख्या	10,29,519
3.	मंजूर किये गये दावा प्रकरणों की संख्या	5,74,393
4.	अस्वीकृत किये गये दावा प्रकरणों की संख्या	4,55,126

5.	विचाराधीन दावा प्रकरण संख्या	0.00
6.	कुल वितरित राशि (रुपये करोड़ में)	3066.63

मुआवजा संबंधी निर्णय :

गैस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारों एवं गंभीर रूप से प्रभावितों को पूर्व में प्रदान की गई मुआवजा राशि में वृद्धि :–

मृत व्यक्तियों के परिवार – रुपए 10 लाख

अत्यंत गंभीर – रुपए 5 लाख

स्थाई विकलांगता – रुपए 5 लाख

कैंसर व किडनी रोगी – रुपए 2 लाख

अस्थाई विकलांगता – रुपए 1 लाख

(इस राशि में से पूर्व में वितरित मुआवजा राशि को घटाकर भुगतान किया जावेगा, जिस पर लगभग 700 करोड़ रुपए का व्यय संभावित)

कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित के कार्यालय द्वारा उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक की स्थिति में भुगतान की गई अनुग्रह राशि की जानकारी

श्रेणी	दावेदारों की श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	जी.ओ.एम. द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि	भुगतान की स्थिति	
				प्रकरणों का भुगतान	राशि रुपये (करोड़ में)
"04"–5–2 (ए) मृत्यु प्रवर्ग	मृत व्यक्तियों के परिवारों को	5479	रु. 10.00 लाख	5479	422.89
"01"–5–2 (डी.ए.)	अत्यंत गंभीर	42	रु. 5.00 लाख	23	0.7
"01"–5–2 (सी)	स्थाई विकलांगता	5902	रु. 5.00 लाख	5078	194.52
"01"–5–2 (डी)	अस्थाई विकलांगता	37900	रु. 1.00 लाख	29430	78.11
"0199"–कैंसर	कैंसर रोगी	16133	रु. 2.00 लाख	9977	142.64
"0198"–किडनी	किडनी (Renal Failure) रोगी	6625	रु. 2.00 लाख	1576	22.69
कुल योग		72081	—	51563	861.55

1. भारत सरकार द्वारा जारी भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर (प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम) एक्ट, 1985 के तहत समस्त अधिकार भारत सरकार द्वारा अपने पास रखे गये हैं। गैस पीड़ितों के मुआवज़ा का सेटलमेन्ट वर्ष 1989 में किया गया। तत्समय 470 यू.एस. मिलियन डॉलर में सेटलमेन्ट किया गया था, यह राशि भारतीय मुद्रा में रुपये 725 करोड़ थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत भोपाल शहर में गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना की गई। कल्याण आयुक्त के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदस्थापना की गई।

2. कुल 10,29,519 आवेदन दो बार विज्ञप्ति के माध्यम से क्रमशः 1985–89 एवं वर्ष 1996–97 में मुआवज़ा हेतु प्राप्त हुए (04 मृत श्रेणी के कुल 22,151 आवेदन सम्मिलित थे) जिनका निराकरण एवं मुआवज़ा राशि का वितरण माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन न्यायिक प्रक्रिया के तहत किया गया, कुल निराकृत 10,29,518 जिसमें से 5,74,386 को मुआवज़ा स्वीकृत किया गया एवं 4,55,132 निरस्त हुए। स्वीकृत प्रकरणों में कुल राशि रुपये 3097.69 करोड़ मुआवज़ा वितरण किया गया। विवरण श्रेणीवार निम्नानुसार है:–

स.क्र.	श्रेणी	स्वीकृत
1	मृत (Death)	5479
2	स्थाई विकलांगता (Permanent Disability)	5902
3	अस्थाई विकलांगता (Temporary Disability)	37900
4	सामान्य क्षति (Minor Injury)	
5	अत्यंत गंभीर (Utmost Severe Cases)	42
6	वाणिज्य / व्यापारिक संस्थाओं द्वारा उन्हें हुई हानि (Loss of Property) (yr.2019)	547
7	पशुधन हानि (Loss of Livestock) (yr.2019)	233
8	उपक्रम (PSU) (yr.2019)	8
	योग (Total)	5,74,393

3. माननीय उच्च न्यायालय के अधिकृत माननीय न्यायाधीश द्वारा 04 मृत श्रेणी के निराकृत 22,151 जिसमें से 15,342 स्वीकृत, 5,474 मामले में मृत्यु का कारण गैस प्रभाव से पाये जाने के कारण मृत्यु प्रवर्ग में अवार्ड पारित किया गया, 1703 मामलों में मृत्यु का कारण गैस का प्रभाव न होने से किंतु गैस प्रभाव के कारण स्थाई क्षति पाये जाने की श्रेणी में है, 1783 मामलों में मृत्यु का कारण गैस का प्रभाव न पाये जाने के कारण आंशिक निःशक्तता पाये जाने की श्रेणी में है, 6382 प्रकरण मृत्यु के मामले का कारण गैस प्रभाव न मानते हुए सामानय प्रवर्ग में पाया गया है, 6808 शेष प्रकरण निरस्त किये गये। चूंकि यह न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार से संशोधन अथवा परिवर्तन राज्य / केन्द्र शासन नहीं कर सकता है। समस्त लंबित आवेदनों का निराकरण न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।

भाग – पाँच

बजट विहंगावलोकन

वित्तीय वर्ष 2021–2022 में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के बजट अनुमान एवं व्यय 31 दिसम्बर 2021 की जानकारी **'सारणी –1'** एवं **'सारणी –2'** में संलग्न है ।

बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय की योजनावार जानकारी **'सारणी – 3'** में संलग्न है।

सारणी – 1

प्रशासकीय प्रतिवेदन की जानकारी वर्ष–2021–22

वर्ष–2021–22 का बजट अनुमान एवं दिसम्बर 2021 तक के व्यय की जानकारी

राशि रुपये लाख में

क्र.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	योजना क्रमांक	बजट अनुमान 2021–22	पुनर्वि.	अनुपूरक अनुमान	कुल बजट अनुमान	दिसम्बर 2021 तक व्यय
1	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	2210	0775	11205.02	0.00	0.00	11205.02	8007.29
2	स्व. सुशील चंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना	2210	7300	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
योग –2210–				11205.03	0.00	0.00	11205.03	8007.29
4	कार्यालय भवनों का रख–रखाव व अनुरक्षण	2235	6720	120.00	0.00	0.00	120.00	76.51
5	भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	2235	3171	282.78	0.00	100.00	382.78	187.92
6	जिलाध्यक्ष गैस राहत भोपाल	2235	3757	279.25	0.00	0.00	279.25	155.43
5	ई–गवर्नेंस	2235	6735	4.01	0.00	0.00	4.01	0.00
6	गैस प्रभावितों का पुनर्वास	2235	7187	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
7	गैस प्रभावित अनाथ बच्चों पर व्यय	2235	1142	0.90	0.00	0.00	0.90	0.58
	कल्याणी गैस पीडित विधवा पेंशन	2235	7820	540.00	0.00	0.00	540.00	354.12
योग –2235–				1226.95	0.00	100.00	1326.95	774.56
8	अवशिष्ट पदार्थो का विनिष्टिकरण	3425	1587	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
योग –3425–				2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
योग राजस्व अनुभाग		योग		12433.98	0.00	100.00	12533.98	8781.85

सारणी - 2

प्रशासकीय प्रतिवेदन की जानकारी वर्ष-2021-22 वर्ष-2021-22 का बजट अनुमान एवं दिसम्बर 2021 तक के व्यय की जानकारी								
								राशि रुपये लाख में
क्र.	इकाई का नाम	लेखा	योजना	बजट अनुमान	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक	कुल	दिसम्बर 2021
		शीर्ष	क्रमांक	2021-22	अनुमान	अनुमान	बजट अनुमान	तक व्यय
1	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत (मशीनें/ संयंत्र)	4210	0775	160.00	0.00	0.00	160.00	153.95
2	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत निर्माण कार्य	4210	0775	480.00	0.00	0.00	480.00	96.42
योग -4210-				640.00	0.00	0.00	640.00	250.37
6	संचालनालय गैस राहत (64-001-001)	4235	3171	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
7	संचालनालय गैस राहत (64-001-002)	4235	3171	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	4235	4889	00.01	0.00	0.00	00.01	0.00
9	गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	4235	6281	00.01	0.00	0.00	00.01	0.00
योग -4235-				10.03	0.00	0.00	10.03	0.00
योग पूंजीगत अनुभाग		योग		650.03	0.00	0.00	650.03	250.37
योग मांग संख्या-42-				13084.01	0.00	100.00	13184.01	9032.22

सारणी- 3

(वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक के बजट एवं व्यय की जानकारी)

स. क्र.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	अनुपूरक अनुमान	पुन विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	के डिपोजिट में जमा राशि	मार्च 2019 तक व्यय
	वर्ष- 2018-2019								
1	गैस पीड़ितों को स्वरोजगार प्रशिक्षण	2202	5740	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
2	आर्थिक पुनर्वास	2202	6280	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
योग -2202-				0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
3	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	2210	0775	10766.65	0.00	0.00	10766.65	0.00	9862.33
4	स्व. सुशील चंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना	2210	7300	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
योग -2210-				10766.66	0.00	0.00	10766.66	0.00	9862.33
5	भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	2235	3171	398.39	0.00	0.00	398.39	0.00	268.90
6	जिलाध्यक्ष गैस राहत भोपाल	2235	3757	289.76	0.00	0.00	289.76	0.00	231.52
7	ई-गवर्नेंस	2235	6735	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8	गैस प्रभावितों का पुनर्वास	2235	7187	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
9	गैस प्रभावित अनाथ बच्चों पर व्यय	2235	1142	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.55
योग -2235-				689.17	0.00	0.00	689.17	0.00	500.97
16	अवशिष्ट पदार्थों का विनिष्टिकरण	3425	1587	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
योग -3425-				5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
योग राजस्व अनुभाग		योग		11460.86	0.00	0.00	11460.86	0.00	10363.30
1	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत (मशीनें / संयंत्र)	4210	0775	373.92	0.00	0.00	373.92	0.00	0.00
2	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत निर्माण कार्य	4210	0775	1017.00	0.00	0.00	1017.00	0.00	0.00
योग -4210-				1390.92	0.00	0.00	1390.92	0.00	0.00
6	संचालनालय गैस राहत (64-001-001)	4235	3171	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7	संचालनालय गैस राहत (64-001-002)	4235	3171	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
8	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	4235	4889	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
9	गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	4235	6281	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
योग -4235-				510.02	0.00	0.00	510.02	0.00	0.00
योग पूंजीगत अनुभाग		**योग**		1900.94	0.00	0.00	1900.94	0.00	0.00
योग मांग संख्या-42-				13361.80	0.00	0.00	13361.80	0.00	10363.30

वर्ष– 2019–2020

स. क्र.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	योजना क्रमांक	बजट प्रावधान	अनुपूरक अनुमान	पुन विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	के डिपोजिट में जमा राशि	मार्च 2020 तक व्यय
1	गैस पीड़ितों को स्वरोजगार प्रशिक्षण	2202	5740	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
2	आर्थिक पुनर्वास	2202	6280	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
योग –2202–				0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
3	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	2210	0775	10858.93	0.00	0.00	10858.93	0.00	9834.70
4	स्व. सुशील चंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना	2210	7300	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
योग –2210–				10859.84	0.00	0.00	10859.84	0.00	9834.70
5	भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	2235	3171	387.39	0.00	0.00	387.39	0.00	215.17
6	जिलाध्यक्ष गैस राहत भोपाल	2235	3757	290.77	0.00	0.00	290.77	0.00	238.31
7	ई–गवर्नेस	2235	6735	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8	गैस प्रभावितों का पुनर्वास	2235	7187	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
9	गैस प्रभावित अनाथ बच्चों पर व्यय	2235	1142	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	0.72
योग –2235–				679.09	0.00	0.00	679.09	0.00	454.20
16	अवशिष्ट पदार्थो का विनिष्टिकरण	3425	1587	4.55	0.00	0.00	4.55	0.00	3.00
योग –3425–				4.55	0.00	0.00	4.55	0.00	3.00
योग राजस्व अनुभाग		योग		11543.51	0.00	0.00	11543.51	0.00	10291.90
1	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत (मशीनें/संयंत्र)	4210	0775	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	29.41
2	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत निर्माण कार्य	4210	0775	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
योग –4210–				1378.00	0.00	0.00	1378.00	0.00	29.41
6	संचालनालय गैस राहत (64–001–001)	4235	3171	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7	संचालनालय गैस राहत (64–001–002)	4235	3171	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
8	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	4235	4889	306.01	0.00	0.00	306.01	0.00	0.00
9	गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	4235	6281	204.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
योग –4235–				521.02	0.00	0.00	521.02	0.00	0.00
योग पुंजीगत अनुभाग		योग		1899.02	0.00	0.00	1899.02	0.00	29.41
योग मांग संख्या–42–				13442.53	0.00	0.00	13442.53	0.00	10321.31

स. क्र.	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	योजना क्रमांक	वर्ष– 2020–2021 बजट प्रावधान	अनुपूरक अनुमान	पुन विनियोजन	कुल बजट प्रावधान	के डिपोजिट में जमा राशि	मार्च 2021 तक व्यय
1	गैस पीड़ितों को स्वरोजगार प्रशिक्षण	2202	5740	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
2	आर्थिक पुनर्वास	2202	6280	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
योग –2202–				0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
3	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	2210	0775	10711.16	1200.00	0.00	11911.16	0.00	10046.60
4	स्व. सुशील चंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना	2210	7300	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
योग –2210–				10711.17	1200.00	0.00	11911.17	0.00	10046.60
5	भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	2235	3171	314.24	0.00	0.00	314.24	0.00	266.75
6	जिलाध्यक्ष गैस राहत भोपाल	2235	3757	266.70	0.00	0.00	266.70	0.00	226.64
7	ई–गवर्नेंस	2235	6735	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
8	गैस प्रभावितों का पुनर्वास	2235	7187	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
9	गैस प्रभावित अनाथ बच्चों पर व्यय	2235	1142	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	0.70
योग –2235–				591.86	0.00	0.00	591.86	0.00	494.09
16	अवशिष्ट पदार्थों का विनिष्टिकरण	3425	1587	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
योग –3425–				1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
योग राजस्व अनुभाग		योग		11304.16	1200.0	0.00	12504.06	0.00	10540.69
1	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत (मशीनें / संयंत्र)	4210	0775	178.00	0.00	0.00	178.00	0.00	127.76
2	स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत निर्माण कार्य	4210	0775	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	360.96
योग –4210–				678.00	0.00	0.00	678.00	0.00	488.72
6	संचालनालय गैस राहत (64–001–001)	4235	3171	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
7	संचालनालय गैस राहत (64–001–002)	4235	3171	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
8	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	4235	4889	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
9	गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	4235	6281	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
योग –4235–				11.06	0.00	0.00	11.06	0.00	0.00
योग पूंजीगत अनुभाग		योग		689.06	0.00	0.00	689.06	0.00	488.72
योग मांग संख्या–42–				11993.22	0.00	0.00	13193.12	0.00	11029.41

परिशिष्ट-1

विभिन्न प्रकार के पुनर्वास जैसे कि चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पुनर्वास कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत राशि का विवरण

(राशि रुपये करोड़ में)

स. क्र.	पुनर्वास कार्यक्रम	विवरण	केंद्र से प्राप्त सहायता	राज्य से प्राप्त सहायता	कुल राशि
			75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	कुल राशि
1	आर्थिक पुनर्वास	1. गैस पीड़ित हितागाहियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु	75.00	25.00	100.00
		2. गैस पीड़ितों द्वारा तैयार किये गये उत्पाद प्रदर्शन हेतु	1.50	0.50	2.00
		3. गैस पीड़ितों के कुशल प्रशिक्षण हेतु	1.50	0.50	2.00
		योग-1	**78.00**	**26.00**	**104.00**
2	**चिकित्सा पुनर्वास**	चिकित्सालयों में फर्नीचर तथा कार्यालय उपकरण	0.86	0.29	1.15
		अन्य आकस्मिक व्यय (अनुसंधान कार्य हेतु)	1.71	0.57	2.28
		मशीन एवं उपकरण के अनुरक्षण	21.17	7.05	28.22
		विभिन्न चिकित्सालयों में भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य	1.425	0.475	1.90
		योग-2	**25.16**	**8.39**	**33.55**
3	सामाजिक पुनर्वास	1. विधवा पेंशन हेतु	22.50	7.50	30.00
		2. योगा हेतु	2.76	0.92	3.68
		3. गैस प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल निर्माण कार्य हेतु	1.20	0.40	1.60
		4. गैस प्रभावित क्षेत्रों में माडर्न डस्टबिन एवं सुलभ काम्प्लेक्स निर्माण कार्य	3.75	1.25	5.00
		5. गैस प्रभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्य	30.00	10.00	40.00
		6. गैस प्रभावित क्षेत्रों में सीवेज सिस्टम उन्नयन निर्माण कार्य	3.69	1.23	4.92
		योग-3	**63.90**	**21.30**	**85.20**
4	**पर्यावरण पुनर्वास**	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	37.50	12.50	50.00
		योग-4	**37.50**	**12.50**	**50.00**
		कुल योग	**204.56**	**68.19**	**272.75**

परिशिष्ट–1

विभाग में संचालित जेंडर बजट से संबंधित योजनाओं की जानकारी

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	जेंडर बजट	
			श्रेणी–1 (जिन योजनाओं में 100 प्रतिशत बजट महिलाओं/बालिकाओं के लिए प्रस्तावित है।)	श्रेणी–1– (जिन योजनाओं में कम से कम 30 प्रतिशत बजट महिलाओं/बालिकाओं के लिए प्रस्तावित है।)
1	2	3	4	5
1	क्रमांक 7820	कल्याणी गैस पीड़ित विधवा पेंशन योजना	5,40,00,000	निरंक

टीप– गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं के परिपालन में वर्ष–2021–22 से वित्त विभाग द्वारा योजना क्रमांक 7820 कल्याणी गैस पीड़ित विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राशि रु–5.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिससे गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को प्रतिमाह राशि रु–1,000/– की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है तथा गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को निरंतर दी जाने वाली पेंशन को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा आगामी वर्ष–2022–23 में उपरोक्त योजना अंतर्गत राशि रु–5.40 करोड का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

परिशिष्ट–2

कार्य योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत राशि एवं उसके विरुद्ध 31 दिसम्बर 2021 तक हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

राशि रुपये लाख में

क्रमांक	पुनर्वास कार्यक्रम	कार्ययोजना की स्वीकृत राशि	31 दिसम्बर 2021 तक का व्यय	राज्य शासन का व्यय
1	चिकित्सा पुनर्वास	15035.11	122937.79	-107902.68
2	आर्थिक पुनर्वास	2117.75	2705.99	-588.24
3	सामाजिक पुनर्वास	4971.88	4569.23	402.65
4	पर्यावरण पुनर्वास	2376.27	4846.48	-2470.21
5	विविध	529.26	995.51	-466.25
6	न्यायिक एवं विधि	770.07	11793.88	-11023.81
कुल योग		**25800.34**	**147848.88**	**-122048.54**

* राज्य शासन द्वारा प्रथम एक्शन प्लान दिनांक 01.04.1990 से 31.03.1995 तक राशि रूपये 258.00 करोड़ का स्वीकृत किया गया था बाद में जुलाई 1999 तक वृद्धि की गई थी, के पश्चात राज्य शासन द्वारा उक्त पुनर्वास कार्यक्रमों को निरंतर रखे जाने हेतु राशि रूपये 1220.49 करोड़ दिनांक 31.12.2021 तक का व्यय राज्य शासन द्वारा किया गया।

परिशिष्ट–3

नवीन कार्य योजना के विरुद्ध द्वितीय कार्ययोजना में वर्ष–2010–11 में प्राप्त राशि का विवरण

राशि रुपये लाख में

क्रमांक	पुनर्वास कार्यक्रम	द्वितीय कार्ययोजना में चाही गई राशि	द्वितीय कार्ययोजना हेतु प्राप्त राशि	31 दिसम्बर 2021 तक का व्यय
1	चिकित्सा पुनर्वास	3355.00	3355.00	916.57
2	सामाजिक पुनर्वास	8520.00	8520.00	4613.05
3	आर्थिक पुनर्वास	10400.00	10400.00	1813.63
4	पर्यावरण पुनर्वास	26000.00	5000.00	5000.00
5	कारपस फंड	50000.00	0.00	0.00
कुल योग		**98275.00**	**27275.00**	**12343.25**

परिशिष्ट–4

दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 तक अधिमान्य संस्थाओं द्वारा गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों की रेडियोडायग्नोस्टिक जांचों की संस्थावार जानकारी

S.No	Referred Hospital (Gas Rahat)	MRI	CT-Scan	PET-CT Scan	Mammography	Colour Doppler
1	Kamla Nehru Hospital	-	-	-	-	-
2	Jawahar Lal Nehru Hospital	03	-	-	-	-
3	Shakir Ali Khan Hospital	-	-	-	-	-
4	Indira Gandhi Hospital	-	-	-	-	-
5	Pulmonary Medicine Centre	-	-	-	-	-
6	Master Lal Singh Hospital	-	-	-	-	-
Enpanelled Hospital for Cancer Treatment						
7	Navoday Hospital	-	61	54	-	-
8	Jawaharlal Nehru Cancer Hospital	-	59	-	50	-
9	Chirayu Hospital	82	80	116	-	5
	Total	**85**	**200**	**170**	**50**	5

परिशिष्ट – 5

गैस राहत चिकित्सा संस्थाओं के बाह्य एवं आंतरिक रोगी विभाग के आंकड़े
(वर्ष 1985 से दिसम्बर 2021 तक की स्थिति)

क्र.	वर्ष	कुल बाह्य रोगियों की संख्या			दैनिक औसत	भर्ती मरीजों की संख्या
		नये रोगी	पुराने रोगी	कुल रोगी		
01	1985	688322	403458	1041780	2584	2835
02	1989	926439	479911	1406350	3853	11364
03	1993	1037887	371929	1409816	3860	12130
04	1994	1137506	371651	1509157	4134	15192
05	1995	1053530	397628	1457158	3992	14875
06	1996	1081248	356916	1438164	3940	14995
07	1997	1030658	307212	1337870	3665	11876
08	1998	977081	316081	1293162	3542	15405
09	1999	1169046	394523	1563569	4298	18466
10	2000	1082352	477392	1559744	4273	23577
11	2001	837032	466164	1303196	3570	24100
12	2002	1003001	502686	1505687	4127	30919
13	2003	962887	490982	1453869	3986	26196
14	2004	979202	447388	1426560	3915	25217
15	2005	935491	433783	1369274	3812	26569
16	2006	794441	475271	1269712	3479	29025
17	2007	860779	447270	1308049	3583	30313
18	2008	850692	422915	1273607	3492	31066
19	2009	864594	450083	1314677	3600	32784
20	2010	815950	431495	1247445	3415	26479
21	2011	851616	348284	1199900	3288	27418
22	2012	820089	337230	1157319	3170	27331
23	2013	860345	401752	1262097	3458	25845
24	2014	895159	555729	1450888	3975	27878
25	2015	931361	545866	1477227	4047	28426
26	2016	1019949	620218	1640167	4456	28830
27	2017	1024618	619088	1643706	4503	30061
28	2018	1048511	600998	1649509	4519	30487
29	2019	1065812	588034	1653846	4531	30927
30	2020	430197	247052	727249	1992	11270
31	2021	471647	248761	720408	1979	10495

परिशिष्ट – 6

गैस राहत विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में उपचार प्राप्त रोगियों की संख्या (माह जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक)

क्रमांक	संस्था का नाम	बेड्स	कुल बाह्य रोगियों की संख्या	दैनिक औसत	कुल भर्ती रोगियों की संख्या
1	जे.एन.एच.	125	228827	627	1900
2	आई.जी.एच.	150	80424	220	5159
3	एम.एल.एस.	30	54375	148	137
4	एस.ए.के.	90	110505	302	1357
5	पी.एम.सी.	50	42375	117	484
6	के.एन.एच.	219	55584	153	1458
	डे– केयर इकाईयॉ				
7	के.एन.पी., जहाँगीराबाद		9771	27	
8	एम.ए.के., पुतलीघर		7762	22	
9	पी.सी. इब्राहिमगंज		1013	03	
10	सी.डी., बी.यू.डी.		15060	42	
11	सी.डी. अशोका गार्डन		8585	24	
12	के.बी.टी., नरेला शंकरी		27800	77	
13	एल.बी.एस., मालीखेड़ी		9591	27	
14	एम.के.डी., करोंद		42830	118	
15	आर.बी.एच., बरखेड़ी		25898	72	
	योग :	**664**	**720408**	**1979**	**10495**

नोट : • यहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट – 7

गैस राहत विभाग के अधीन अस्पतालों में किये गये चिकित्सीय परीक्षणों की जानकारी

(माह जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक)

संस्था का नाम	पी.एफ.टी.	अल्ट्रा सोनो ग्राफी	ई.सी.जी	इको कार्डियो ग्राफी	स्ट्रेस टेस्ट	क्षय किरण	ब्रोन्को स्कोपी	इन्डो स्कोपी	डायलिसिस	ई.ई.जी
जे.एन.एच.	•	02	1475	–	–	6148	•	•	•	•
आई.जी.एच.	•	3526	19	•	•	912	•	•	•	•
एम.एल.एस.	•	–	152	•	•	1032	•	•	•	•
एस.ए.के.	•	–	3059	•	•	7957	•	•	•	•
पी.एम.सी.	13	–	1282	04	•	986	•	•	•	•
के.एन.एच.	•	1918	3259	204	–	1658	•	53	1820	204
योग	13	5446	9246	208	0	18693	0	53	1820	204

नोट : • यहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

परिशिष्ट – 8

चिकित्सालय एवं डे–केयर सेंटर में की गई पैथोलॉजी जांचें
(माह जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक)

चिकित्सालय	रक्त	मूत्र	मल	थूक (खकार)	बायोकेमेस्ट्री	सीरोलॉजी	बेक्टीरियोलॉजी	योग
जे.एन.एच.	48482	30619	40	2478	24518	13428		119565
के.एन.एच.	41377	12185	9		62705	4069	0	120345
आई.जी.एच.	15091	17058	243		9839	23064		65295
पी.एम.सी.	7091	2104	2	806	13561	319		23883
एस.ए.के.	21259	2571	2	702	14680	1184		40398
एम.एल.एस.	8352	1838	1	443	3912	1301	0	15847
आर.बी.एच.	618	376	0	508	0	0	0	1502
के.बी.टी.एच.	617	17	0	0	0	0	0	634
पी.सी.आई.	0	0	0	0	0	0	0	0
एम.ए.क्यू.ए.	0	0	0	0	0	0	0	0
एम.के.डी.	157	0	0	0	0	0	0	157
बी.यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0
अशोका गार्डन	0	0	0	0	0	0	0	0
एल.बी.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0
के.एन.पी.	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**143044**	**66768**	**297**	**4937**	**129215**	**43365**	**0**	**387626**

नोट : • यहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

परिशिष्ट – 9

न्यायालयीन प्रकरण

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास तथा इसके अधीनस्थ कार्यरत इकाईयों में चल रहे न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति नीचे दी गई तालिका में है :–

स. क्र.	इकाई का नाम	न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष लंवित प्रकरणों की संख्या
1	संचालनालय, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल	12	–	12
2	कलेक्ट्रेट गैस राहत, भोपाल	02	01	01
3	कार्यालय संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल	02	–	02
4	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत, भोपाल	73	31	42
5	कार्यालय राजधानी परियोजना प्रशासन,गैस राहत संभाग, भोपाल	04	–	04
6	इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल	03	–	03
7	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल	01	01	–
	कुल योग	**97**	**33**	**64**

गैस राहत विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम (प्रथम श्रेणी)	स्वीकत पद	वेतनमान (सातवें वेतन अनुसार)	कार्यरत पद	रिक्त पद
	संचालक	1	(141800-214700) L-17	1	0
	कंसलटेन्ट मेडिसिन	1	(123100-215900) L-15	0	1
	कंसलटेन्ट कार्डियकथेरेसिक सर्जन	1	(123100-215900) L-15	0	1
	कंसलटेन्ट पीडियाट्रिक्स	1	(123100-215900) L-15	1	0
	मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट	1	(79900-211700) L-14	1	0
	संयुक्त संचालक	1	(79900-211700) L-14	1	0
	ऐसोसियट प्रोफेसर (गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी)	1	(79900-211700) L-14	0	1
	एसोसियट प्रोफेसर (आपथल्मोलॉजी)	1	(79900-211700) L-14	0	1
	एसोसियट प्रोफेसर (पीडियाट्रिक्स)	1	(79900-211700) L-14	1	0
	एसोसियट प्रोफेसर (पैथलॉजी)	1	(79900-211700) L-14	1	0
	एसोसियट प्रोफेसर (रेडियोलॉजी)	1	(79900-211700) L-14	0	1
	एसोसियट प्रोफेसर (गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी सर्जिकल)	1	(79900-211700) L-14	0	1
	एसोसियट प्रोफेसर (नेफ्रोलॉजी)	1	(79900-211700) L-14	0	1
	एसोसियट प्रोफेसर (न्यूरोलॉजी)	1	(79900-211700) L-14	1	0
	एसोसियट प्रोफेसर (आई.सी.यू.)	1	(79900-211700) L-14	0	1
	एसोसियट प्रोफेसर (सायकेट्रिक)	1	(79900-211700) L-14	0	1
	उप सचालक	1	(67300-206900) L-13	0	1
	अस्सिटेन्ट प्रोफेसर (गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी)	1	(67300-206900) L-13	0	1
	अस्सिटेन्ट प्रोफेसर (आपथल्मोलॉजी)	1	(67300-206900) L-13	1	0
	अस्सिटेन्ट प्रोफेसर (पीडियाट्रिक्समेडिसन)	1	(67300-206900) L-13	0	1
	अस्सिटेन्ट प्रोफेसर (पैथोलॉजी)	3	(67300-206900) L-13	1	2
	अस्सिटेन्ट प्रोफेसर (रेडियोलॉजी)	2	(67300-206900) L-13	1	1
	अस्सिटेन्ट प्रोफेसर (डायलेसिस यूनिट)	1	(67300-206900) L-13	0	1
	सहायक प्राध्यापक (गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी सर्जिकल)	1	(67300-206900) L-13	0	1
	सहायक प्राध्यापक (न्यूरोलॉजी)	1	(67300-206900) L-13	1	0

	सहायक प्राध्यापक (आई.सी.यू.)	3	(67300-206900) L-13	1	2
	विशेषज्ञ माइक्रोबायलॉजी	1	(67300-206900) L-13	0	1
	सी0एम0ओ0 गै.रा.	1	(67300-206900) L-13	1	0
	अधीक्षक	3	(67300-206900) L-13	3	0
	कार्डियोपल्म फीजियोलॉजिस्ट	1	(67300-206900) L-13	0	1
	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	10	(67300-206900) L-13	8	2
	शिशुरोग विशेषज्ञ	9	(67300-206900) L-13	5	4
	नेत्ररोग विशेषज्ञ	6	(67300-206900) L-13	0	6
	मेडिकल विशेषज्ञ	7	(67300-206900) L-13	4	3
	सर्जिकल विशेषज्ञ	4	(67300-206900) L-13	2	2
	रेडियोलॉजिस्ट	4	(67300-206900) L-13	1	3
	पैथोलॉजिस्ट	5	(67300-206900) L-13	0	5
	निश्चेतना विशेषज्ञ	5	(67300-206900) L-13	2	3
	मानसिकरोग विशेषज्ञ	1	(67300-206900) L-13	0	1
	ब्लड बैंक आफीसर	1	(67300-206900) L-13	0	1
	कुल योग –	89	---	38	51

नोट –कॉलम क्र. 05 में अंकित कुल कार्यरत संख्या 38 में संविदा, रोगी कल्याण समिति एवं एन.आर.एच.एम. के 06 विशेषज्ञों की गणना शामिल है।

चिकित्सा इकाईयों में द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

स.क्र.	पदनाम (द्वितीय श्रेणी)	स्वीकत पद	वेतनमान (सातवें वेतन अनुसार)	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	सहायक चिकित्सा अधीक्षक	2	(56100-177500) L-12	2	0
2	मेडिकल रिसर्च ऑफिसर	1	(56100-177500) L-12	0	1
3	सांख्यिकीय अधिकारी	1	(56100-177500) L-12	0	1
4	चिकित्सा अधिकारी	153	(56100-177500) L-12	110	43
	योग –	157	---	112	45

नोट – कॉलम क्र. 05 में अंकित कुल कार्यरत संख्या 112 में संविदा पर कार्यरत 70 अधिकारियों की गणना भी शामिल है।

चिकित्सा इकाईयों में तृतीय श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी (दिनांक – 31.12.2021)

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	वेतनमान (सातवें वेतन अनुसार)	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6
1	नर्सिंग आफीसर	1	(42700-135100) L-10	0	1
2	मेट्रन	2	(42700-135100) L-10	0	2
3	सहायक मेट्रन	2	(32800-103600) L-8	0	2
4	नर्सिंग सिस्टर	25	(36200-114800) L-9	1	24
5	स्टाफ नर्स	213	(28700-91300) L-7	169	44
6	एल.एच.व्हीं.	4	(25300-80500) L-6	0	4
7	ए.एन.एम.	5	(22100-70000) L-5	0	5
8	एम.पी.डब्लु.	2	(22100-70000) L-5	0	2
9	बायोकेमिस्ट	6	(32800-103600) L-8	4	2
10	टेक्नीकल असिस्टेन्ट	1	(32800-103600) L-8	0	1
11	मेडिकल सोशल वर्कर	24	(28700-91300) L-7	17	7
12	लेब टेक्नीशियन	35	(28700-91300) L-7	27	8
13	ओ0टी0 टेक्नीशियन	3	(25300-80500) L-6	0	3
14	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	2	(22100-70000) L-5	1	1
15	लेब सहायक	22	(19500-62000) L-4	12	10
16	सीनियर रेडियोग्राफर	1	(28700-91300) L-7	0	1
17	रेडियोग्राफर	20	(28700-91300) L-7	15	5
18	डार्करूम सहायक	18	(19500-62000) L-4	10	8
19	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	16	(28700-91300) L-7	7	9
20	कम्पाउन्डर	24	(19500-62000) L-4	15	9
21	ड्रेसर	20	(19500-62000) L-4	13	7
22	सेनेट्री सुपरवाइजर	1	(19500-62000) L-4	1	0
23	नेत्र सहायक	5	(28700-91300) L-7	4	1
24	आप्टोमीट्रिस्ट	1	(28700-91300) L-7	1	0
25	इलेक्ट्रीशियन	4	(19500-62000) L-4	2	2
26	वाहन चालक	24	(19500-62000) L-4	17	7
27	फिजियोथेरेपिस्ट	1	(36200-114800) L-9	1	0
28	फिजियो थेरोपी असिस्टेंट	1	(19500-62000) L-4	0	1

29	ओ.टी. असिस्टेंट	2	(19500-62000) L-4	0	2
30	टेलीफोन आपरेटर	3	(19500-62000) L-4	0	3
31	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	8	(36200-114800) L-9	1	7
32	कार्यालय अधीक्षक	1	(36200-114800) L-9	0	1
33	कम्प्युटर प्रोग्रामर	1	(42700-135100) L-10	0	1
34	डाटाएन्ट्री आपरेटर–सह– रजिस्ट्रेशन क्लर्क	2	(19500-62000) L-4	0	2
35	सीनियर आडीटर	1	(28700-91300) L-7	0	1
36	मुख्य लिपिक	5	(28700-91300) L-7	0	5
37	शीघ्रलेखक	3	(28700-91300) L-7	1	2
38	लेखापाल	7	(28700-91300) L-7	5	2
39	उच्च श्रेणी लिपिक	8	(25300-80500) L-6	1	7
40	स्टीवर्ड	5	(25300-80500) L-6	1	4
41	सांख्यिकी सहायक	1	(25300-80500) L-6	1	0
42	डाइटीशियन	2	(28700-91300) L-7	0	2
43	केशियर	5	(25300-80500) L-6	2	3
44	स्टोर कीपर (भंडारी)	5	(25300-80500) L-6	0	5
45	निम्न श्रेणी लिपिक	22	(19500-62000) L-4	18	4
46	स्टोर क्लर्क	4	(19500-62000) L-4	1	3
47	डाईट क्लर्क	1	(19500-62000) L-4	1	0
48	पंजीयन क्लर्क	9	(19500-62000) L-4	6	3
49	क्लर्क– टायपिस्ट –कम स्टोर कीपर	1	(19500-62000) L-4	0	1
50	स्टेनो टायपिस्ट क्लर्क	1	(19500-62000) L-4	0	1
51	मेडिकल रिर्काड क्लर्क	2	(19500-62000) L-4	1	1
52	तकनीकी सहायक	19	(19500-62000) L-4	6	13
	कुल योग –	601	---	362	239

नोट – कॉलम क्र. 06 में अंकित रिक्त पदों की कुल संख्या 239 में 120 पद पदोन्नति हेतु रिक्त पद भी शामिल है।

गैस राहत विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं / औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी (दिनांक– 31.12.2021 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	वेतनमान	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	लैब अटेंडेंट	16	(18000-56900) L-3	7	9	
2	अटेंडेंट चतुर्थ श्रेणी	20	(15500-49000) L-1	14	6	
3	दफतरी	1	(15500-49000) L-1	–	1	
4	भृत्य	9	(15500-49000) L-1	6	3	
5	वार्डवाय	37	(15500-49000) L-1	32	5	
6	आया	25	(15500-49000) L-1	20	5	
7	चौकीदार	9	(15500-49000) L-1	6	3	डाईंग केडर
8	स्टेचर अटेंडेंट	3	(15500-49000) L-1	2	1	
9	नाई	1	(15500-49000) L-1	1	–	डाईंग केडर
10	माली	1	(15500-49000) L-1	1	–	डाईंग केडर
11	मेस सवेन्ट	5	(15500-49000) L-1	3	2	डाईंग केडर
12	धोबी	3	(15500-49000) L-1	3	–	डाईंग केडर
13	डार्करूम अटेंडेट	11	(15500-49000) L-1	6	5	
14	ओ. टी. अटेंडेंट	17	(18000-56900) L-3	10	7	
15	स्वीपर	34	(15500-49000) L-1	18	16	डाईंग केडर
16	पम्प अटेंडेट	1	(15500-49000) L-1	–	1	
17	क्लीनर	2	(15500-49000) L-1	2	–	डाईंग केडर
18	चतुर्थ श्रेणी मेल फिमेल	12	(15500-49000) L-1	10	2	
19	वार्ड अटेंडेंट	5	(15500-49000) L-1	5	–	
20	कुक	3	(15500-49000) L-1	1	2	डाईंग केडर
21	स्ट्रेचर वियरर	7	(15500-49000) L-1	3	4	
22	क्लास अटेंडेट मेल / फिमेल	85	(15500-49000) L-1	73	12	
23	स्वीपर जिलाध्यक्ष	2	–	–	2	
	योग	**309**	–	**223**	**86**	
24	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि / चिकित्सा	88	(15500-49000) L-1	52	36	
25	अभिलेखीकरण + नेमेततिक व्यय के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	41	(15500-49000) L-1	19	22	
	योग	**128**	–	**71**	**57**	
महायोग :–		**438**	–	**294**	**144**	

नोटः म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ / 7631 / 97 / मेडि–1 / 17 भोपाल दिनांक 10.02.1997 के द्वारा कॉलम नं. 7 में दर्शाये पदों के सामने डाईंग केडर घोषित किया गया है।

परिशिष्ट – 11

नियुक्तियाँः– 01.01.2021 से 31.12.2021 के मध्य की गई नियुक्तियों की जानकारी

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों के विरुद्ध की गई नियुक्तियाँ	रिमार्क
प्रथम श्रेणी	89	38	51	निरंक	51 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।
द्वितीय श्रेणी	157	112	45	18	18 मेडिकल ऑफिसर्स के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गयी है।
तृतीय श्रेणी	601	362	239	–	
चतुर्थ श्रेणी	438	294	144	निरंक	–
कुल	1285	806	479	–	–

––00––

नोट्स :

नोट्स :

नोट्स :

भोपाल में स्थापित गैस राहत चिकित्सालय, डे-केयर, औषधालय

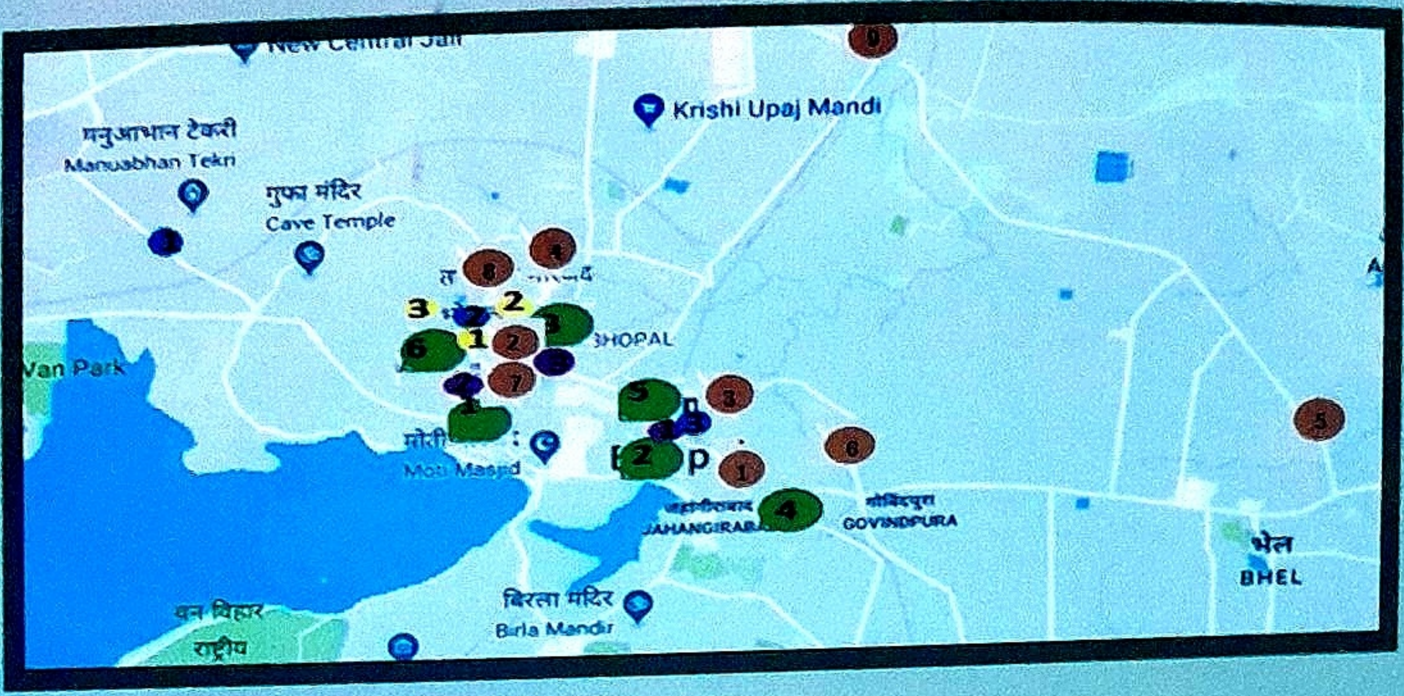

चिकित्सालय

1. कमला नेहरू चिकित्सालय
2. इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय
3. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय
4. रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर
5. खान शाकिर अली खान चिकित्सालय
6. मास्टर लालसिंह चिकित्सालय

डे केयर सेंटर

1. के.एन.पी. जहांगीराबाद
2. एम.ए.के. पुतलीघर
3. बाग उमराव दूल्हा
4. मां कर्मा देवी, करोंद
5. कुशाभाऊ ठाकरे, नरेला शंकरी
6. सिविल डिस्पेंसरी, अशोका गार्डन
7. पॉली क्लीनिक, इब्राहिमगंज
8. रुकमाबाई
9. लाल बहादुर शास्त्री, मालीखेड़ी

आयुर्वेदिक औषधालय

1. लालघाटी
2. टीला जमालपुरा
3. चांदबड

होम्योपैथी औषधालय

1. कबीटपुरा
2. नारियलखेड़ा
3. टीला जमालपुरा

यूनानी औषधालय

1. छावनी
2. रफीकिया
3. काजी कैम्प